राज्य बजट 2017–18 : एक विश्लेषण

मुख्यमंत्री महोदया ने वर्ष 2017–18 के लिये बजट पेश करते हुए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। पर्यटन, संस्कृति, धरोहरों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, मज़ारों, मदरसों, गुरूद्वारों, मन्दिरों सहित तमाम घोषणाएं करते हुए, मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों – युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा छात्रों को संबोधित किया। वर्ष 2017–18 के लिये कुल 1.66 लाख करोड़ रूपये का बजट पेश करते हुए सरकार ने 13528 करोड़ रूपये के राजस्व घाटा तथा 24753 करोड़ रूपये के राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया है।

बजट में जहां युवाओं के लिये रोजगार तथा कौशल निर्माण पर जोर दिया गया है, वहीं नोटबंदी का ज़िक्र तक नहीं किया गया। लेकिन नोटबंदी का असर इस बजट पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चालू वर्ष में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तीयों में 7 हजार करोड़ रूपये की कमी होने का अनुमान है और यही कारण है कि चालू वर्ष के राजस्व घाटे में लगभग 8000 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह मुख्यमंत्री महोदया ने बजट भाषण में उद्योगों, रोजगार तथा कौशल विकास की चर्चा करते हुए कहीं भी रिसर्जेन्ट राजस्थान तथा उसमें हुए समझौतों पर कोई चर्चा नहीं की।

अगर बात आगामी वर्ष के आंकड़ों की करें तो सरकार ने 130 हजार करोड़ रूपये की कुल राजस्व आय का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। परन्तु पिछले वर्षों के रूझानों को देखें तो संशोधित अनुमान तथा वास्तविक आय हमेशा बजट अनुमान से कम रहे हैं।

अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, स्वच्छता एवं पेयजल, अनु. जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, श्रम कल्याण, सामाजिक कल्याण एवं पोषण तथा ग्रामिण विकास के बजट में कुल मिलाकर पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से मात्र 5408 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की गई है। अगर बजट अनुमानों से तुलना करें तो इन क्षेत्रों में कुल आवंटन में मात्र 350 करोड़ रूपये बढ़ोतरी हुई है। बजट अनुमान की तुलना में स्वास्थ्य पर मात्र 213 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है तथा शिक्षा पर 2226 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। स्मार्ट सिटी की तमाम घोषणाओं के बावजूद शहरी विकास का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रूपये कम हुआ है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सामाजिक समरसता की बात करने के बावजूद सरकार ने अनु. जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (अल्पसंख्यक सहित) के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बजट भाषण में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवो को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन ग्रामिण विकास का कुल बजट भी पिछले वर्ष के बजट अनुमान के बराबर ही रखा गया है। कृषि तथा संबद्व क्षेत्र में भी बजट बढ़ोतरी नहीं हुई है तथा यह 6159 करोड़ रूपये है जो पिछले वर्ष के लगभग समान है। सिंचाई के बजट में अवश्य कोई 500 करोड़ रूपये की वृद्वि हुई है।

अगर बात मुख्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की करें तो सर्व शिक्षा अभियान का बजट 4550 करोड़ रूपये से नहीं बढ़ा है, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट आधा हो गया है। मध्यान्ह भोजन का बजट भी स्थिर रहा है जबकि राष्ट्रीय समेकित बाल संरक्षण योजना में कटौती की गई है। हालांकि बजट भाषण में नये बाल गृह खोले जाने की घोषणा हुई।

राज्य में एकल नारी, वृध्द्व एवं विकलांग जनों के लिये पेंशन की योजनाएं संचालित हैं। इस बजट में सरकार ने विधवा पेंशन की राशि को बढ़ा दिया है तथा सभी विकलांगजनों, के पेंशन को भी 750 रूपये प्रति माह कर दिया है। इसके साथ ही सरकार वृद्धजनों के पेंशन में भी वृद्वि कर सकती थी जो नहीं की गयी है।

राजस्थान सरकार की योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना के बजट में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरू किये गये मुख्यमंत्री राजश्री योजना जिसके अन्तर्गत बच्चियों के जन्म पर 50000 रूपये की राशि दी जाती है, के लिये 196 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

खनन क्षेत्रों में 500 करोड़ रूपये स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च होंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अगर यह अतिरिक्त राशि है तो यह खर्च किस विभाग/संस्था के माध्यम से होगा। कोटा तथा जोधपुर में सिलीकोसिस चिकित्सा केन्द्र खोलना अवश्य स्वागत योग्य कदम है परन्तु ऐसे केन्द्रों की आवश्यकता राज्य के अधिकांश जिलों को है।

महिलाओं के लिये चिराली योजना की घोषणा की गई है, जो मुख्यतः एक जागरूकता कार्यक्रम है। 1000 महिला दूग्ध केन्द्र, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 5000 रूपये तथा छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को साइकिल दी जायेगी।

कुल मिलाकर सरकार ने इस बजट में जहां समाज के सभी वर्गो को खुश करने के प्रयास किया है वहीं बजट का आर्थिक पक्ष बहुत मज़बुत नहीं दिखता। हलांकि आने वाले वर्ष में राजस्व घाटे को न्यूनतम रखने तथा राजकोषीय घाटे को 2.99 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु वर्तमान वित्तिय वर्ष में भी राजकोषीय घाटे 3.37 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार की कुल देनदारीयां भी इस वर्ष 2.53 लाख करोड़ है जो राज्य के सकल धरैलू उत्पाद का 33.79 प्रतिशत है जबकि यह वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 25 प्रतिशत तक ही होना चाहिये। वर्ष 2017–18 में सरकार की कुल देनदारीयां 2.78 करोड़ तक हो जायेंगी। जाहिर है इससे सरकार का ब्याज पर खर्च भी बढ़कर 19626 करोड़ रूपये हो जाने का अनुमान है, जो इस वर्ष 17734 करोड़ पर रूपये है।

ऐसे में सरकार को अपने वित्तिय प्रबंधन को चुस्त रखने की जरूरत है जिससे लोक कल्याणकारी घोषणाओं को पूरा करते हुए राज्य की वित्तिय स्थिति को भी सुदृढरखा जा सके।

राज्य में कृषि एवं सिंचाई हेतु आवंटन एवं खर्च

राजस्थान में कृषि क्षेत्र की स्थिति : राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 10.4 प्रतिशत है। राज्य का 8.00 प्रतिशत क्षेत्रफल वानिकी के अन्तर्गत, 5.66 प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि के अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत, 7.01 प्रतिशत क्षेत्रफल ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत, 4.88 प्रतिशत क्षेत्रफल स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अन्तर्गत, 0.08 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षों के झुण्ड तथा बाग के अन्तर्गत, 11.78 प्रतिशत क्षेत्रफल बंजर भूमि के अन्तर्गत, 6.04 प्रतिशत

क्षेत्रफल अन्य चालू पड़त भूमि के अन्तर्गत, 5.42 प्रतिशत क्षेत्रफल चालू पड़त के अन्तर्गत एवं 51.13 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अन्तर्गत है।

इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। राज्य की करीब 62 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंध गतिविधियों से जुड़े हैं। कृषि गणना, 2010–11 के अनुसार कुल क्रियाशील भूमि जोतों की संख्या 68.88 लाख है, जबकि वर्ष 2005–06 में यह संख्या 61.86 लाख थी, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल जोतों में सीमान्त 36.45 प्रतिशत, लघु 21.94 प्रतिशत, अर्द्ध मध्यम 19.38 प्रतिशत, मध्यम 19.38 प्रतिशत, बडे आकार की तथा वर्गीकृत 5.87 प्रतिशत हैं। राज्य में वर्ष 2005–06 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 209.39 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2010–11 में बढ़कर 211.36 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में मात्र 0.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। **(स्रोतः आर्थिक समीक्षा 2016–17)**

राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र का 35 से 38 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, जब कि शेष 62 से 65 प्रतिशत गैर सिंचित क्षेत्र है। राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर सिंचाई की निर्भरता देखते हैं तो राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक सिंचाई, कुओं एवं नलकूप पर निर्भर है। अन्य स्रोतों की कमी के कारण कुओं एवं नलकूप द्वारा भूमिगत जल का तेजी विदोहन हो रहा है एवं भूमिगत जलस्तर निरंतर गिर रहा है।

तालिका : राज्य के कुल बजट के अनुपात में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट

(राशि करोड़ में)

वर्ष	कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	
	कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र का बजट	राज्य के कुल व्यय प्रतिशत	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट	राज्य के कुल व्यय प्रतिशत
2014–15 (वास्तविक)	4537.8	3.89	2989.89	2.52
2015–16 (संशोधित)	5129.85	2.83	3246.55	1.79
2015–16 (वास्तविक)	4437.41	3.42	3120.36	2.41
2016–17 (अनुमान)	6515.93	3.85	4131.22	2.40
2016–17 (संशोधित)	6041.20	4.07	4080.46	2.75
2017–18 (अनुमान)	6159.06	3.69	4625.75	2.77

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
(नोटः कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।)

उपरोक्त तालिका में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण के बजट को राज्य के कुल बजट के अनुपात में दर्शाया गया है जिसके अनुसार राज्य सरकार ने इस वर्ष अपने कुल व्यय की 3.69 प्रतिशत राशि कृषि एवं संबंद्ध सेवाओं में तथा 2.77 प्रतिशत राशिसिंचाई एवं बाढ नियंत्रण व्यय करना अनुमानित किया है। इस वर्ष में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों के बजट का राज्य बजट की तुलना में प्रतिशत पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले में लगभग 0.38 प्रतिशत गिरा है जबकि सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट गत वर्ष के संशोधित अनुमान के समान ही है।

अगर गत दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि 2016–17 के बजट अनुमान में राज्य सरकार ने अपने कुल बजट का 3.85 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित किया जो कि 2015–16 के वास्तविक खर्च से 0.43 प्रतिशत अधिक है। जब की सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण संबंद्धित सेवाओं पर 2016–17 में राज्य के कुल बजट का 2.40 प्रतिशत आवंटित हुआ, जो कि 2015–16 के वास्तविक खर्च के लगभग बराबर ही है। ऐसी स्थिती में जब कृषि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से वृद्धि की दर धीमी बनी हुई है राज्य सरकार ने कृषि एवं सिंचाई के आवंटन को पिछले वर्ष की तुलना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है।

तालिका : राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये पिछले वर्षों में बजट आवंटन (राशि करोड़ में)

व्यय मद	2014–15 (वास्तविक)	2015–16 (संशोधित)	2015–16 (वास्तविक)	2016–17 (अनुमान)	2016–17 (संशोधित)	2017–18 (अनुमान)
राजस्व व्यय						
फसल कृषि कर्म	1833.27	2248.72	1759.32	3282.03	2968.43	3085.13
मृदा तथा जल संरक्षण	59.89	67.18	66.72	54.72	67.05	58.19
पशुपालन	576.48	638.16	596.98	721.52	787.15	894.35
डेरी विकास	13.2	5.83	3.89	8.7	0.00	11.33
मछली पालन	13.31	13.76	13.57	14.45	13.27	14.03
वानिकी तथा वन्य जीवन	710.5	826.45	786.11	876.69	830.91	764.00
खाद्य भंडारण तािा भंडागार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	162.3	180.78	180.51	227.58	220.36	228.06
स्हकारिता	611.5	628.36	605.00	634.1	651.56	628.20
अन्य कृषि कार्यक्रम	8.2	8.74	8.55	9.39	9.35	10.15
राजस्व व्यय योग	**3988.76**	**4618.02**	**4020.68**	**5829.21**	**5548.08**	**5693.47**
पुंजीगत व्यय						
फसल कृषि कर्म	299.5	253.44	180.35	534.51	264.00	279.55
मृदा तथा जल संरक्षण	0.27	0.4	0.40	0.2	0.27	0.00
पशुपालन	16.96	14.17	11.19	7.75	6.04	32.66
डेरी विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मछली पालन	1.37	2.01	1.54	1.37	1.36	0.80
वानिकी तथा वन्य जीवन	216.55	216.39	197.85	114.28	193.02	135.58
खाद्य भंडारण तािा भंडागार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्हकारिता	14.37	25.39	25.39	0.00	28.45	16.99
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूंजीगत व्यययोग	**549.04**	**511.83**	**416.73**	**686.72**	**493.12**	**465.59**
महायोग	**4537.8**	**5129.85**	**4437.41**	**6515.93**	**6041.20**	**6159.06**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित बजट में इस वर्ष पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 356 रू करोड़ की गिरावट तथा संशोधित अनुामन की तुलना में केवल 118 करोड़ की वृद्धि हुयी है। यदि देखा जाये तो यह गिरावट राजस्व मद में 221 करोड एवं पूंजीगत मद में 135 करोड़ देखी जा सकती है। अगर पिछले दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि बजट अनुमान में आवंटित बजट को संशोधित बजट तथा लेखे में घटाया जाता रहा है। ऐसे में इस वर्ष के बजट अनुमान में आवंटित राशि का संशोधित बजट में घटने की संभावना देखी जा सकती है। यह चिन्ताजनक है क्योंकि राज्य में कृषि की बिगडती स्थिति, कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धिदर तथा कृषि विभाग में खाली पदों को देखते हुए कृषि के लिये बजट आवंटन में वृद्धि करना अति आवश्यक है।

इसके साथ ही पशुपालन, जो कि ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है के लिये इस वर्ष कुल 927.04 करोड़ रू. प्रस्तावित किये गये हैं जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 197.77 करोड़ तथा पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 127.85 करोड़ रू. अधिक है।

तालिका : राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये पिछले तीन का बजट **(राशि करोड़ में)**

व्यय मद	2014–15 (वास्तविक)	2015–16 (संशोधित)	2015–16 (वास्तविक)	2016–17 (अनुमान)	2016–17 (संशोधित)	2017–18 (अनुमान)
राजस्व व्यय						
मुख्य सिंचाई	1267.7	1371.88	1353.91	1435.08	1547.76	1591.9
मध्यम सिंचाई	255.5	280.82	272.15	302.85	298.16	321.96
लघु सिंचाई	176.69	187.59	168.13	204.11	185.38	157.25
कमान क्षेत्र विकास	19.32	19.89	18.41	21.19	19.71	20.49
योग राजस्व व्यय	**1719.29**	**1860.2**	**1812.61**	**1963.23**	**2051.02**	**2091.59**
पूंजीगत व्यय						
मुख्य सिंचाई	662.50	527.8	486.96	1469.86	1236.72	1720.66
मध्यम सिंचाई	92.01	151.4	145.98	80.4	109.55	204.9
लघु सिंचाई	435.56	530.1	525.11	458.2	510.04	387.56
बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें	77.95	51.2	42.41	30	25	40
कमान क्षेत्र विकास	थ्मइ.56	125.7	107.28	129.38	148.12	181.03
योग पूंजीगत व्यय	**1270.60**	**1386.35**	1307.75	**2167.99**	2029.44	2534.16
महायोग	**2989.89**	**3246.55**	**3120.36**	**4131.22**	**4080.46**	**4625.75**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

2016–17 में सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण के लिये आवंटित बजट में गत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 545.29 करोड़ रू की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय मद में मुख्य सिंचाई के हुई है जिसे इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में लगभग 504.72 करोड़ बढाया गया है। लेकिन अगर पिछले दो वर्षों के

बजट को देखें तो पता चलता है कि बजट अनुमान में आवंटित राशि को कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र की तरह संशोधित बजट तथा लेखे में घटाया जाता रहा है।

राज्य बजट में ग्रामीण विकास की स्थिति

राज्य में ग्रामीण विकास विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याण एवं विकास की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ग्रामीण विकास राज्य बजट में एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार सालाना बजट आवंटित करती है। इस वर्ष सरकार द्वारा अपने सालाना बजट में ग्रामीण विकास के लिये कुल 14,322.63 करोड़ रू. की राशि के व्यय का अनुमान किया गया है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्राम रोजगार, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूॅंजीगत परिव्यय, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मद के अंतर्गत राशि आवंटन को शामिल किया गया है।

तालिका : राज्य बजट में ग्रामीण विकास हेतु आवंटन **(राशि करोड में)**

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	ग्रामीण विकास	प्रतिशत
1	**2012—13 वास्तविक**	81263.91	5468.64	6.73 %
2	**2013—14 वास्तविक**	94101.08	5785.87	6.15 %
3	**2014—15 वास्तविक**	116605.48	11093.02	9.51 %
4	**2015—16 वास्तविक**	129736.02	12971.37	10.00 %
5	**2016—17 संशोधित**	148506.69	13642.74	9.18 %
6	**2017—18 अनुमानित**	166753.90	14322.63	8.59 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार
नोटः कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।

- वर्तमान वर्ष 2017—18 में ग्रामीण विकास हेतु राज्य के कुल बजट का 8.59 प्रतिशत लगभग 14322. 63 करोड़ रू. का आवंटन हुआ है।
- वर्ष 2017—18 में ग्रामीण विकास हेतु पिछले वर्ष 2016—17 के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 680 करोड़ रू. अधिक की राशि आवंटित की गई है।
- पिछले 5 वर्षों से वर्तमान वर्ष तक ग्रामीण विकास का बजट राज्य के कुल बजट का लगभग 6 से 10 प्रतिशत के बीच रहा है।
- वर्ष 2014—15 में ग्रामीण विकास के बजट में एकाएक वृद्वि होने का कारण अधिक आवंटन नहीं बल्कि केन्द्रीय सहायता की राशि का राज्य के आयोजना बजट में सम्मिलित होना है। जैसे– महानरेगा, इंदिरा आवास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।

- पिछले वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट तथा वर्तमान वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट में कोई खास बढ़ोतरी एवं ईजाफा दिखाई नहीं देता है, जिसका एक बड़ा कारण महानरेगा योजना के कुल बजट में श्रमिक भुगतान की राशि का सम्मिलित नहीं होना है।

- केन्द्र सरकार ने महानरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिये 01 अप्रेल 2016 से एक नई पद्धति National Electronic Fund Management System (NeFMS) लागू की है। जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष 01 अप्रेल 2016 से महानरेगा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सीधे केन्द्र से श्रमिकों के खातों में किया जा रहा है जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा अपनी बजट पुस्तिकाओं में उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। यह ध्यान रहे कि इस लेख में महानरेगा के बजट का विश्लेषण केवल सामग्री बजट की जानकारी पर ही आधारित है।

तालिका : राज्य बजट 2017–18 से ग्रामीण विकास हेतु राशि आवंटन **(राशि करोड में)**

वर्ष	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	ग्रामीण विकास का कुल बजट
2017–18 अनुमानित	9632.21	4690.41	14322.63
प्रतिशत (%)	67.25 %	32.75 %	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

नोटः इस वर्ष से राज्य सरकार ने बजट पुस्तिकाओं के माध्यम से बजट की जानकारी में आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद का अलग अलग विवरण को देना बंद कर दिया है। इसके स्थान पर राज्य सरकार कुल आवंटन में राज्य निधि से खर्च तथा केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि की जानकारी उपलब्ध करवा रही है।

- इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु कुल 14322.63 करोड. रू. का आवंटन किया गया है यह राशि राज्य के कुल बजट का लगभग 8.59 प्रतिशत है।

- इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु कुल अनुमानित राशि में से 67.25 प्रतिशत लगभग 9632.21 करोड़ रू. राज्य सरकार द्वारा तथा 32.75 प्रतिशत लगभग 4690.41 करोड़ रू. केन्द्र सरकार आवंटित किये जाने प्रस्तावित हैं।

पिछले वर्षो में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन

- वर्तमान वर्ष में ग्रामीण विकास के लिये कुल 14322.63 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, यह आवंटन पिछले वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 536 करोड़ रू. कम है।

- इस वर्ष ग्रामीण विकास के अंतर्गत सर्वाधिक राशि 2515, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई है जो कुल ग्रामीण विकास के बजट का 63.24 प्रतिशत, लगभग 9057.69 करोड़ रू. है।

- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग, पंचायतों को निर्बन्ध राशि, ग्रामीण बीपीएल आवास, टी.एस.पी., पिछड़ा जिला विकास कोष, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम जिला नवाचार कोष एवं मध्यान्ह भोजन को सम्मिलित किया गया है।

- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष के अंतर्गत पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ग्राम विकास, अनुसूचित जातियों की विशिष्ट योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना को शामिल किया गया है।
- ग्राम रोजगार मद के अंतर्गत कुल आवंटन का 22.29 प्रतिशत लगभग 3193.35 करोड़ की राशि का आवंटन हुआ है, महानरेगा जैसी बड़ी योजना की राशि भी इसी में शामिल है।
- अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे कम 3.10 प्रतिशत लगभग 445 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है जिसमें डांग जिले, पिछडे जिले एवं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्मिलित हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राशि आवंटन तो वर्ष दर वर्ष हो रहा है लेकिन आवंटित राशि का खर्च नहीं बराबर हो रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त दोनों काग्रक्रमों के बैंक खातों में भारी राशि अनुपयोगी पडी है।

तालिका : पिछले वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन **(राशि करोड़ में)**

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2015—16 वास्तविक	2016—17 संशोधित	2017—18 अनुमानित	% प्रतिशत
1	**2501**	**ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम**	**540.28**	**1067.6**	**1058.59**	**7.39 %**
1.1		मरूस्थल विकास कार्यक्रम				
1.2		बंजर भूमि विकास (राज्यांश)	531.58	942.54	892.13	
1.3		स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)	8.69	125.06	166.45	
2	**2505**	**ग्राम रोजगार**	**3949.18**	**3135.88**	**3193.35**	**22.29 %**
2.1		राष्ट्रीय कार्यक्रम	634.61	1299.53	1198.60	
2.2		महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना	3304.07	1825.85	1994.75	
		अन्य कार्यक्रम	10.50	10.50		
3	**2515**	**अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**	**7708.26**	**8540.99**	**9057.69**	**63.24 %**
4	**2575**	**अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम**	**0.71**	**1.87**	**2.19**	**0.01 %**
4.1		पिछडे क्षेत्र (मेवात, डांग)	0.36	1.37	1.69	
4.2		सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.35	0.50	0.50	
5	**4515**	**अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूॅजीगत परिव्यय**	**504.44**	**551.84**	**568.00**	**3.96 %**
6	**4575**	**अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय**	**268.5**	**344.56**	**442.81**	**3.09 %**
6.1		डांग जिले	43.79	49.4	49.41	
6.2		पिछडे क्षेत्र	84.85	145.66	233.9	
6.3		सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)	139.85	149.5	159.5	
योग			**12971.37**	**14858.80**	**14322.63**	**100 %**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

तालिका : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की राज्य में स्थिति (राशि करोड में)

महानरेगा	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 संशोधित	2015–16 संशोधित	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमानित
राशि	200.00	266.00	388.50	349.86	361.00	313.58	494.75

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

तालिका : राज्य एवं केन्द्र का संयुक्त राशि आवंटन (राशि करोड में)

	2014–15 संशोधित	2015–16 संशोधित	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमानित
कुल	3849.86	3809.95	1825.85	1994.75
केन्द्रीयांश	3500.00	3448.95		

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

- वर्तमान वर्ष में महानरेगा के लिये कुल 1994.75 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है लेकिन यह केवल महानरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में प्रस्तावित राशि की जानकारी है। इस लेख के प्रारम्भ में बताया गया है कि महानरेगा में श्रमिक भुगतान सीधे केन्द्र से किया जा रहा है इसलिए वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में महानरेगा के कुल आवंटन में श्रमिक भुगतान की राशि सम्मिलित नहीं है।

- उपरोक्त तालिका के अध्ययन से महानरेगा योजना पर राज्य सरकार के खर्च को समझा जा सकता है। यदि देखा जाये तो वर्ष 2014–15 तथा 2016–17 के अलावा पिछले सभी वर्षों में राज्य सरकार ने महानरेगा योजना के लिये राज्यांश की राशि में बढ़ोत्तरी की है। यहां केवल जानकारी के लिये बताया जा रहा है कि राज्य सरकार, महानरेगा के कुल सामग्री बजट में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान करती है।

- वर्ष 2017–18 में पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में महानरेगा के लिये लगभग 170 करोड़ रूत्र अधिक के सामग्री बजट का अनुमान किया गया है तथा इसके आधार पर अनुमान किया जा सकता है। कि महानरेगा के लिये कुल बजट में भी लगभग इसी अनुपात में बढोतरी की गई होगी।

तालिका : महानरेगा योजना की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 फरवरी तक
1	जॉब कार्डधारी परिवार (लाख में)	98.30	98.46	99.36	95.15
2	कार्य पर नियोजित परिवार (लाख में)	36.15	36.87	42.21	42.99
3	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	1838.55	1686.19	2341.34	2146.96
4	महिलाओं के मानव दिवस (लाख में)	1245.76	1150.97	1616.06	1441.09
5	100 दिवस कार्य वाले परिवार (लाख में)	4.46	2.81	4.69	2.12
6	औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार	51	46	55	50
7	औसत श्रमिक दर रू. प्रति मानव दिवस	107	115	120	131

स्रोत – महानरेगा की वेबसाईट के आधार पर

- वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक वर्ष दर वर्ष महानरेगा की भौतिक प्रगति में कमी देखने में आई है।
- कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या पिछले चार वर्ष में 36.15 लाख से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 42.99 लाख हो गई है।
- महिलाओं के मानव दिवसों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2016–17 में भारी कमी देखने में आई है।
- वर्तमान वर्ष में औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार तथा 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016–17 में कमी देखी जा सकती है।

राज्य में जलापूर्ति एवं सफाई की स्थिति

राजस्थान सरकार पिछले कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति के लिये राज्य बजट से राशि आवंटन करती रही है तथा वर्तमान में सरकार ने भी पेयजल को अपनी प्राथमिकता में रखा है। राज्य बजट से जलापूर्ति एवं सफाई के लिये राशि आवंटन एवं इसकी जानकारी 2215 एवं 4215 बजट शीर्ष के माध्यम से दी जाती है जिसका विस्तृत विवरण बजट पुस्तिका आय व्ययक अनुमान खण्ड 2 स एवं 3 अ में उल्लेखित रखा गया है।

नीचे दी गयी तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्तमान वर्ष 2017–18 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8647.19 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है यह आवंटन राज्य के कुल बजट का लगभग 5.19 प्रतिशत है। साथ ही यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 13.55 प्रतिशत ज़्यादा भी है। इसी तरह वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट में भी इसी वर्ष के अनुमानित बजट की तुलना में लगभग 6.47 प्रतिशत की कमी हुई है। यदि पिछले चार वर्षों के दौरान देखा जाये तो जलापूर्ति एवं सफाई के लिये राज्य बजट से कुल आवंटित राशि का लगभग 5 से 6 प्रतिशत के बीच ही रहा है। इसके साथ ही पिछले सभी वर्षों में वास्तविक खर्च आवंटित एवं संशोधित खर्च से काफी कम रहा है।

तालिका : राज्य बजट की तुलना में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट **(राशि करोड में)**

	राज्य का बजट	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट	राज्य बजट में प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि
वास्तविक (2012–13)	81263.91	2933.79	3.61	-
वास्तविक (2013–14)	94101.08	4599.67	4.89	36.22
वास्तविक (2014–15)	116605.48	6565.54	5.63	29.94
वास्तविक (2015–16)	129736.02	6784.42	5.23	3.23
अनुमानित (2016–17)	151127.7	7959.05	5.27	14.76
संशोधित (2016–17)	148506.69	7475.25	5.03	-6.47
अनुमानित (2017–18)	166753.90	8647.19	5.19	13.55

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार **नोटः कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।**

तालिका : जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित बजट का वितरण **(राशि करोड में)**

	आयोजना भिन्न	आयोजना	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट
2014–15 वास्तविक	2082.3	4483.22	6565.54
2015–16 वास्तविक	2400.99	4383.43	6784.42
2016–17 अनुमानित	2510.52	5448.52	7959.05
2016–17 संशोधित	2844.69	4630.56	7475.25

	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट
2017–18 अनुमानित	7581.48 (87.67 %)	1065.72 (12.32 %)	8647.19 (100 %)

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

वर्तमान वर्ष 2017–18 में जलापूर्ति एवं सफाई मद में राज्य सकार द्धारा कुल 8647.19 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है। इस वर्ष आवंटित कुल राशि में से 7581.48 करोड़ रू. लगभग 87.67 प्रतिशत राज्य निधि तथा 1065.72 करोड़ लगभग 12.32 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत खर्च किया जाना प्रस्तावित है। आयोजना भिन्न मद में तथा लगभग 68.46 प्रतिशत आयोजना खर्च होना प्रस्तावित है।

नोटः इस वर्ष से राज्य सरकार ने बजट पुस्तिका के माध्यम से बजट की जानकारी में आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद के विवरण को देना बंद कर दिया है। इसके स्थान पर राज्य सरकार कुल आवंटन में राज्य निधि से खर्च तथा केन्द्रीय सहायता की राशि की जानकारी उपलब्ध करवा रही है।

तालिका : जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित कुल बजट **(राशि करोड में)**

क.सं.	जलापूर्ति	सफाई	कुल
2013–14(वास्तविक)	4353.34	246.33	4599.67
2014–15(वास्तविक)	6324.52	241.02	6565.54
2015–16(वास्तविक)	6524.59	259.77	6784.42
2016–17(संशोधित)	7154.65	320.38	7475.25
2017–18(अनुमानित)	8298.03 (95.96 %)	349.11 (4.04 %)	8647.19 (100 %)

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान वर्ष 2017–18 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8647.19 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, यह आवंटन पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। इस वर्ष आवंटित राशि में से लगभग 96 प्रतिशत लगभग 8298.03 करोड़ रू. जलापूर्ति तथा केवल 4 प्रतिशत लगभग 349.11 करोड़ रू. सफाई मद में आवंटित किये गये हैं। यदि देखा जाये तो जलापूर्ति हेतु पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 1143 करोड़ रू. अधिक एवं सफाई के लिये केवल 28.73 करोड़ रू. अधिक का ही आवंटन किया गया है।

तालिका : वर्ष 2017–18 में जलापूर्ति बजट का वितरण **(राशि करोड में)**

	कुल बजट	प्रतिशत
शहरी जलापूर्ति	22786.60	27.46 %
ग्रामीण जलापूर्ति	4152.59	50.03 %
अनुसूचित जाति	1078.91	13.00 %
ज्नजाति	790.22	9.52 %
अन्य व्यय	1.59	0.02 %
अन्य हास	-3.00	-0.04 %
कुल	**8298.03**	**100.00**

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान वर्ष 2017–18 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8647.19 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, जिसमें से लगभग 96 प्रतिशत राशि जलापूर्ति हेतु खर्च होना प्रस्तावित है। यदि देखा जाये तो वर्तमान वर्ष के जलापूर्ति हेतु आवंटन में सर्वाधिक लगभग 50 प्रतिशत राशि ग्रामीण जलापूर्ति के लिये तथा लगभग 27.46 प्रतिशत राशि शहरी जलापूर्ति के लिये खर्च होना प्रस्तावित रखा गया है। इसके साथ ही जलापूर्ति हेतु कुल आवंटित राशि में से लगभग 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति उपयोजना तथा 9.52 प्रतिशत जनजाति उपयोजना में खर्च के लिये रखी गई है।

जलापूर्ति के आवंटन के अंतर्गत कुछ मुख्य योजनाओं हेतु आवंटन एवं केन्द्रीय सहायता की राशि को निम्न तालिका से समझा जा सकता है।

तालिका : पेयजल हेतु मुख्य योजनाओं का बजट आवंटन **(राशि करोड में)**

योजना का नाम	अनुमानित (2014–15)	संशोधित (2014–15)	वास्तविक (2014–15)	वास्तविक (2015–16)	संशोधित (2016–17)	अनुमानित (2017–18)
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	280.41	245.21	189.53	248.00	172.24	195.31

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

वर्तमान वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन हेतु कुल 195.31 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया गया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23 करोड़ रू. अधिक तथा वर्ष 2015–16 की तुलना में लगभग 53 करोड़ रू. कम है। यदि देखा जाये तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिये पिछले वर्षों तथा इस वर्ष सम्पूर्ण राशि का प्रावधान केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (Housing for All)

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक (आजादी की 75वीं वर्षगांठ) तक देश से सभी शहरी गरीबों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को देश में प्रारम्भ किया है। इस योजना में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2022 तक देश के सभी शहरी गरीबों को आवास की आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है तथा यह योजना वर्ष 2015 से 2022 तक तीन चरणों में पूर्ण की जायेगी। इस योजना का क्रियान्वयन देश के 34 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 3888 शहरी क्षेत्रों (जिसमें 468 ए–क्लास शहर भी सम्मिलित हैं) में किया जायेगा।

राजस्थान में संचालित 'प्रधानमंत्री आवास योजना' एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है, जिसका राज्य में क्रियान्वयन वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ किया गया। इस योजना के लिये राज्य से कुल 183 शहरी क्षेत्रों का चयन किया गया है जहां अगले कुछ वर्षों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

इस आलेख में यह बताना जरूरी है कि सरकार ने वर्ष 2016–17 के संशोधित तथा वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट में, राज्य के ग्रामीण बी.पी.एल. लोगों को आवास सुविधा मुहैया करवाने के लिये संचालित इंदिरा आवास योजना में राशि आवंटन बंद करके उसके स्थान पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत में आवंटन प्रारम्भ किया गया है।

तालिका : प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कुल आवंटन **(राशि करोड में)**

बजट मद	2016–17 संशोधित			2017–18 अनुमान		
	राज्य	केन्द्र	कुल	राज्य	केन्द्र	कुल
प्रधानमंत्री आवास योजना में (शहरी)	2.52	101.74	104.26 (8.19 %)	2.90	247.10	250.00 (17.25%)
प्रधानमंत्री आवास योजना में (ग्रामीण)	467.00	700.48	1167.46 (91.81 %)	209.80	988.80	1198.60 (82.75 %)
कुल बजट	**469.52**	**802.22**	**1271.74** (100 %)	**212.70**	**1235.90**	**1448.60** (100 %)

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

तालिका : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) **(राशि करोड में)**

बजट मद	2016–17 अनुमान			2016–17संशोधित			2017–18 अनुमान		
	राज्य	केन्द्र	कुल	राज्य	केन्द्र	कुल	राज्य	केन्द्र	कुल
सामान्य वर्ग	1.76	157.32	159.08 (68.69%)	1.74	69.86	71.60 (68.67%)	0.30	169.70	170.00 (68.00%)
अनुसूचित जाति उपयोजना	0.45	40.85	41.30 (17.82%)	0.45	18.15	18.60 (17.84%)	0.95	44.05	45.00 (18.00%)
अनु. जनजाति उपयोजना	0.35	30.93	31.27 (13.49 %)	0.33	13.73	14.06 (13.49%)	1.65	33.35	35.00 (14.00%)
कुल बजट	**2.56**	**229.10**	**231.66** (100%)	**2.52**	**101.74**	**104.26** (8.19%)	**2.90**	**247.10**	**250.00** (100%)

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

पिछले वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये कुल 231.66 करोड़ रू. के प्रावधान रखा गया था। इस आवंटन में से 98.89 प्रतिशत, लगभग 229.10 करोड़ केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तथा मात्र 1.11 प्रतिशत, लगभग 2.56 करोड़ राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित रखे गये। इसके साथ ही योजना हेतु कुल आवंटन का 17.82 प्रतिशत अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये तथा 13.49 प्रतिशत जनजाति उपयोजना के लिये प्रस्तावित रखा गया।

पिछले वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये कुल 104.26 करोड़ रू. के व्यय प्रावधान रखा गया। यह प्रावधान इसी वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में आधे से भी कम है अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना के संशोधित बजट में बजट अनुमान की तुलना में लगभग 127.40 करोड़ रू. की कटौती की गई। इस कुल आवंटन में से 97.58 प्रतिशत, लगभग 101.74 करोड़ केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तथा मात्र 2.42 प्रतिशत, लगभग 2.52 करोड़ राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित रखे गये।

वर्तमान वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये कुल 250 करोड़ रू. के व्यय प्रावधान रखा गया। जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 18.34 करोड़ तथा संशोधित बजट की तुलना में 145.74 करोड़ रू. अधिक है। इस कुल आवंटन में से 98.84 प्रतिशत, लगभग 247.10 करोड़ केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तथा मात्र 1.16 प्रतिशत, लगभग 2.90 करोड़ राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित रखे गये। इसके साथ ही योजना हेतु कुल आवंटन का 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये तथा 14 प्रतिशत जनजाति उपयोजना के लिये प्रस्तावित रखा गया।

यदि देखा जाये तो राज्य सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)के बजट अनुमान में तो भारी भरकम राशि आवंटन दिखा रही है, लेकिन योजना हेतु संशोधित बजट तथा वास्तविक खर्च में यह आवंटन घट कर आधे से भी कम रह जाता है। योजना के आवंटन में यह कटौती कहीं ना कहीं सरकार की कमजोर रणनीति तथा ढीले क्रियान्वयन की ओर इशारा करती है।

तालिका : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) **(राशि करोड में)**

बजट मद	2016–17 संशोधित			2017–18 अनुमान		
	राज्य	केन्द्र	कुल	राज्य	केन्द्र	कुल
सामान्य वर्ग	197.58	296.35	493.93 **(42.32%)**	88.12	415.29	503.41 **(42.61%)**
अनुसूचित जाति उपयोजना	86.90	130.33	217.23 **(18.60%)**	39.86	187.87	227.73 **(18.99%)**
अनुसूचित जनजाति उपयोजना	182.52	273.78	456.30 **(39.08%)**	81.82	385.63	467.45 **(38.40%)**
कुल बजट	467.00	700.48	1167.46 **(100%)**	209.80	988.80	1198.60 **(100%)**

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

पिछले वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये कुल 1167.46 करोड़ रू. के व्यय प्रावधान किया गया, इस कुल आवंटन में करीब 42.32 प्रतिशत राशि सामान्य वर्ग के लिये, 18.60 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत तथा 39.08 प्रतिशत राशि जनजाति

उपयोजना के अन्तर्गत व्यय हेतु रखी गई है। इसके साथ ही कुल आवंटन में करीब 60 प्रतिशत, लगभग 700.48 करोड़ केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तथा करीब 40 प्रतिशत, लगभग 467 करोड़ राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित रखे गये।

वर्तमान वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये कुल 1198.60 करोड़ रू. के व्यय प्रावधान रखा गया, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की के लगभग बराबर ही है। इस वर्ष कुल आवंटन का करीब 42.61 सामान्य वर्ग के लिये, 18.99 प्रतिशत अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु तथा 38.40 प्रतिशत जनजाति उपयोजनान्तर्गत व्यय हेतु प्रस्तावित है। इसके साथ ही कुल आवंटन में से 82.50 प्रतिशत, लगभग 988.80 करोड़ केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तथा 17.50 प्रतिशत, लगभग 209.80 करोड़ राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित रखे गये।

यदि देखा जाये तो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये कुल आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित बजट के लगभग बराबर ही हुआ है लेकिन वर्तमान वर्ष में, योजनान्तर्गत राज्य निधि की राशि में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। पिछले वर्ष में कुल बजट की लगभग 40 प्रतिशत राशि राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित थी जो वर्तमान वर्ष के बजट मे गिरकर करीब 17.50 प्रतिशत पर आ गई है।

राजस्थान में शिक्षा एवं बजट

भारत विश्व के निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आता है। 2014 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत विश्व के 180 देशों में 130वें पायदान पर है जो बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। देशों में शिक्षा की स्थिति मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। भारत में फिलहाल 29 राज्य और 7 संघ राज्य है। अगर इन राज्यों का मानव विकास सूचकांक देखें तो हम पाएंगे कि राजस्थान निम्न सूचकांक वाले राज्यों में है। राजस्थान में शिक्षा की स्थिति भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत खराब है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है, जो देश की औसत साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से कम है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच राजस्थान भारत के राज्यों और संघीय प्रदेशों की सूची में 4 पायदान लुढ़ककर के 29वें स्थान से 33वें स्थान पर पहुँच गया है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर के मामले में भी राजस्थान बाकि राज्यों और संघ राज्यों से बहुत पीछे है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में पुरूष साक्षरता दर 80.51 है जबकि महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है।

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामिण सारक्षरता दर (62.34) में देश के अन्तिम पाँच राज्यों में से एक है। शिक्षा के अधिकार कानून हेतु तय मापदंडों के अनुसार भी राज्य की स्थिति बेहद खराब है। प्रस्तुत नोट में राज्य में शिक्षा की स्थिति एवं आवंटित बजट का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थितिः राज्य के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद कमजोर है जिसका विवरण इस खंड में दर्शाया गया है।

तालिका : प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति (आधार वर्ष 2015–16)

सुविधाएं	केवल प्राथमिक	केवल उच्च प्राथमिक	कुल
पेयजल की सुविधा	94.3	93.4	96.8
लड़कों हेतु शौचालय की सुविधा	99.0	98.1	99.2
लड़कियों हेतु शौचालय की सुविधा	99.4	100	99.7
बिजली की सुविधा	18.9	89.5	55.3
विद्यालय में चार दीवारी	66.8	93.5	83.0
खेल का मैदान	35.6	65.4	52.3
छप्पर सहित रसोई घर	79.3	86.9	81.2

स्रोत : डाइस स्टेट रिर्पोट कार्ड 2015–2016

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य के करीब 3.2 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा का अभाव है एवं करीब 1 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कों हेतु शौचालय की सुविधा का अभाव है। राज्य में करीब 48 प्रतिशत विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं हैं, प्राथमिक विद्यालयों में यह समस्या और अधिक है। इसी प्रकार करीब 45 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

तालिका : प्रदर्शन सूचकांक (आधार वर्ष 2015–16)

प्रदर्शन सूचकांक	प्राथमिक (प्रतिशत में)	समस्त विद्यालय (प्रतिशत में)
एकल कक्षा–कक्ष वाले विद्यालय	6.0	2.7
एकल अध्यापक वाले विद्याालय	29.1	11.9
विघार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर)	20	19
विघार्थी कक्ष अनुपात (एस.सी.आर.)	15	21
प्रति विद्यालय औसत अध्यापक	2.2	6.1

स्रोत : डाइस डेटा, स्टेट रिर्पोट कार्ड 2015–2016

राज्य में करीब 2.7 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जो कि मात्र एक ही कक्षागृह में चल रहे हैं और राज्य में कुल 6.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र एक ही कक्षागृह है। राज्य में करीब 12 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें सिर्फ एक ही शिक्षक द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लगभग 29 प्रतिशत विद्यालय मात्र एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 20 है और राज्य का कुल विघार्थी शिक्षक अनुपात 19 है। राज्य में प्रति विद्यालय औसत अध्यापक 6.1 है और ये अनुपात प्राथमिक विद्यालयों में 2.2 है।

राज्य के विद्यालयों में मानव संसाधन की स्थिति बेहद खराब है, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में शिक्षको के हजारों पद रिक्त हैं। सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य में तृतिय श्रेणी शिक्षकों के करीब 37580 पद, विषय अध्यापकों के 16415 पद एवं व्याख्याताओं के करीब 18191 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार राज्य के आदर्श विद्यालयों में भी भारी संख्या में पद खाली हैं, इन विद्यालयों में व्याख्याता के करीब 40 प्रतिशत, वरिष्ठ अध्यापकों के 28.5 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के करीब 11 प्रतिशत पद रिक्त हैं। जबकि

सोचने वाली बात यह है कि डाईस के अनुसार राज्य के विद्यालयों में विघार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर) काफी अच्छा है।

तालिका : विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद (आधार वर्ष 2014–15)

विद्यालय प्रकार/शिक्षक स्तर	स्वीकृत पद	रिक्त पद (प्रतिशत में)
आदर्श विद्यालय		
व्याख्याता	9684	3840 (39.65)
वरिष्ठ अध्यापक	5536	1578 (28.5)
तृतीय श्रेणी अध्यापक	8369	940 (11.23)
सभी विद्यालय		
व्याख्याता	47327	18191 (38.44)
विषय अध्यापक	–	16415
तृतीय श्रेणी अध्यापक	–	37580

स्त्रोत : सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर

तालिका : राजस्थान में सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय (राशि करोड़ में)

मद	2013–14 वास्तविक व्यय	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
राजस्व	15307.66	22729.45	19362.93	23707.67	22221.22	21096.95	25222.66	25563.19	26807.18
पूंजीगत	63.36	143.93	56.4	116.90	170.04	155.02	239.12	139.12	881.00
कुल व्यय	15371.02	22873.3	19419.33	23824.57	22391.26	21251.97	25461.78	25702.31	27688.18
राज्य के बजट वयय से प्रतिशत	**16.3**	**17.4**	**16.7**	**17.3**	**16.3**	**16.4**	**16.8**	**17.3**	**16.6**
जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत	**2.8**	**3.8**	**3.2**	**3.5**	**3.3**	**3.2**	**3.4**	**3.4**	**3.3**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : शिक्षा पर कुल व्यय में सामान्य शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेंवाएं, कला एवं संस्कृति का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का योग है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2017–18 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा पर आवंटन में गत वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 हेतु करीब 27688.18 करोड़ रू आवंटित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 7.8 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष 2016–17 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा हेतु करीब 25461.78 करोड़ रू आवंटित किये गये थे जिसको संशोधित बजट में कुछ बढ़ाकर करीब 25702.31 करोड़ रू कर दिया गया है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय मात्र करीब 3.2 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 96.8 प्रतिशत राजस्व है। गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में पूंजीगत आवंटन में बढ़ोतरी की गयी है। राज्य में शिक्षा पर कुल बजट व्यय को राज्य के

कुल बजट व्यय के प्रतिशत रुप में देखा जाये तो यह विगत 5 वर्षों में करीब 16–17 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार यदि राज्य में शिक्षा पर कुल बजट व्यय की तुलना सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) से की जाये तो यह मात्र करीब 3 प्रतिशत के आसपास रहा है।

तालिका : सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय (2202) **(राशि करोड़ में)**

मद	2013–14 वास्तविक व्यय	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
प्राथमिक शिक्षा	8463.62 (56.4)	11518.7 (60.80)	10517.4 (50.74)	11787.7 (47.51)	11041.3 (43.92)	10970.7 (41.58)
माध्यमिक शिक्षा	5265.20 (35.1)	6269.00 (32.86)	8775.45 (42.34)	11442.9 (46.12)	12553.4 (49.93)	13788.8 (52.26)
उच्च शिक्षा	1065.95 (7.1)	996.88 (5.23)	1164.64 (5.62)	1226.54 (4.94)	1225.76 (4.88)	1248.16 (4.73)
प्रोढ़ शिक्षा	29.15 (0.2)	57.50 (0.30)	19.20 (0.09)	68.10 (0.27)	26.43 (0.11)	58.86 (0.22)
भाषा विकास	141.37 (0.9)	175.60 (0.92)	187.42 (0.9)	205.31 (0.83)	216.48 (0.86)	238.36 (0.90)
सामान्य	53.75 (0.4)	58.82 (0.31)	63.68 (0.31)	82.31 (0.33)	78.17 (0.31)	81.49 (0.31)
कुल	15019.0 (100)	19076.5 (100)	20727.8 (100)	24812.9 (100.)	25141.6 (100)	26386.4 (100)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष
नोट : () में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।

शिक्षा बजट में वर्ष 2015–16 तक राजस्व व्यय की करीब आधे से अधिक (54 से 60 प्रतिशत) राशि प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित एवं व्यय की जाती थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा पर करीब 33 से 39 प्रतिशत राशि व्यय की जाती रही है। जबकि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के संशोधित बजट एवं 2016–17 एवं 2017–18 के बजट अनुमान में प्राथमिक शिक्षा में लगातार कटौती कर माध्यमिक शिक्षा में बढ़ोतरी की गयी है। कुल शिक्षा बजट का केवल 4 से 5 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर व्यय हो रहा है। इसके अलावा पिछले वर्षो की तुलना में इस वर्ष प्रोढ़ शिक्षा एवं भाषा विकास में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है।

तालिका : शिक्षा, खेलकुद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय (4204) **(राशि करोड़ में)**

वर्ष	2013–14 वास्तविक व्यय	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
राशि	63.36	56.40	155.0	239.1	139.1	881.7

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय 2–3 प्रतिशत है, जबकि करीब 97–98 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व व्यय है। अतः शिक्षा पर कुल व्यय में अधिकांश व्यय राजस्व मदों के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा हेतु पूंजीगत बजट में वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में गत वर्षों की तुलना में अच्छी बढ़ोतरी की गयी है।

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट : सर्व शिक्षा अभियान, देश में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की प्राप्ति व शिक्षा में जेण्डर–गैप खत्म करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम (फ्लैगशिप प्रोग्राम) है। यह कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाली बस्तियों एवं क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा– गृहों का निर्माण, शौचालय निर्माण, अतिरिक्त शिक्षकों नियुक्ति एवं पेयजल की व्यवस्था आदि सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2001–02 से चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा एवं 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार कानून के बेहतर क्रियांवयन को सुनिश्चित करना भी सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है।

केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना सहायता अनुपात भी धीरे–धीरे कम कर दिया गया है। जब वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया तो, उस समय केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमशः 85:15 था, जिसको बाद के वर्षो में कम करके 75:25 कर दिया गया। वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके क्रमशः 62 व 65.5 प्रतिशत के करीब कर दिया। वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके मात्र करीब 26 प्रतिशत ही रखा था। हालांकि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के बजट में केन्द्र एवं राज्य सरकार का हिस्सा क्रमशः 60 व 40 प्रतिशत है।

तालिका : राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट **(राशि करोड़ में)**

मद/वर्ष	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
केन्द्रीय अनुदान	2874.01 (66.20)	–	–	2718.43 (60)	2718.43 (60)	–
राज्यांश	1467.55 (33.80)	–	–	1812.28 (40)	1812.29 (40)	–
कुल योग	**4341.56 (100)**	**4119.648**	**4025.00**	**4530.71 (100)**	**4530.72 (100)**	**4530.72 (100)**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

वर्ष 2014–15 से केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियन हेतु आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया गया था। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद को प्रदान की जाती थी। यह राशि वर्ष 2014–15 से राज्य सरकार को प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की अधिकांश राशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय होती है, वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस.एस.ए. के कुल आंवटित बजट का लगभग 90 प्रतिशत वेतन भत्ते के लिए आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में एस.एस.ए का कुल बजट 2016–17 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान के बराबर ही रखा गया है।

तालिका : राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट **(राशि करोड़ में)**

मद	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
कुल बजट	1155.54	413.50	588.55	1538.00	619.00	700
केन्द्रीयांश	685.07	–	–	900.00	358.12	–

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान के बजट में गत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 838 करोड़ रू. की कमी की गयी है। उपरोक्त आंकड़ों के स्पष्ट होता है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए आवंटित राशि में से बहुत कम खर्च कर पा रही है, अगर हम 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के संशोधित अनुमान की राशि देखें तो हमें ज्ञात होगा कि ये इन वर्षो के बजट अनुमान से काफ़ी कम है, साथ ही इन वर्षों में वास्तविक व्यय तो और भी कम है।

तालिका : प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष का बजट **(राशि करोड़ में)**

मद / वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
कुल बजट (राशि करोड़ रु. में)	11519	10517.39	11041.38	10970.76
कुल नामांकित बच्चे (लाख में)	60.75	63.89	62.84	–
प्रति बालक बजट राशि (राशि रु. में)	18961.25	16461.72	17562.24	17449.91*
कुल विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	79098	80086	77218	–
प्रति विद्यालय (राशि लाख रु. में)	14.56	13.30	13.79	14.21*

स्रोत : 1. बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष
2. आर्थिक समिक्षा, राजस्थान सरकार, 2015–16 एवं 2016–17

नोट : *वर्ष 2017–18 के लिये प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय बजट की गणना 2016–17 को आधार मानकर की गयी है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2014–15 में प्रति बालक करीब 18961.25 रु. एवं वर्ष 2015–16 में प्रति बालक करीब 16461.72 रु खर्च किये गये। जबकि संशोधित बजट के अनुसार वर्ष 2016–17 में प्रति बालक करीब 17562.24 रु. एवं वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के अनुसार इस साल प्रति बालक करीब 17449.91 रु आवंटित किये गये हैं।

इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में प्रति विद्यालय करीब 14.56 लाख रु. एवं वर्ष 2015–16 में प्रति विद्यालय करीब 13.30 लाख रु खर्च किये गये। जबकि वर्ष 2016–17 में प्रति विद्यालय करीब 13.79 लाख रु एवं वर्ष 2017–18 में प्रति विद्यालय करीब 14.21 लाख रु आवंटित किये गये हैं।

विद्यालयों को मिलने वाला अनुदानः राज्य में विद्यालयों को निम्न प्रकार के वार्षिक अनुदान मिलते हैं जिस पर विद्यालय प्रबंध समिती (SMC) का नियंत्रण रहता है :

- विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG)ः विद्यालय सुविधा अनुदान (School Facilities Grant) के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5000 रु जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7000 रु मिलते हैं।

- विद्यालय मरम्मत एवं नवीनीकरण अनुदान (SMRG) : विद्यालय मरम्मत एवं नवीनीकरण अनुदान (School Maintenance Renovation Grant) के अंतर्गत यदि विद्यालय में 3 या इससे कम कमरे हैं तो 5000 रु और यदि 3 कमरों से अधिक है तो 10000 रु मिलते हैं।
- टीएलएम अनुदान (Teaching Learning Material Grant) :टीएलएम अनुदान 2 वर्ष से बंद है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य के विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी है अतः सरकार को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास करना चाहिये। इसके साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों को शिघ्र भरना चाहिये। इस हेतु राज्य में शिक्षा पर बजट खर्च को बढाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान में सरकार राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का मात्र करीब 3 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रही है। जबकि कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये। इसके अलावा विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, बजट खर्च एवं इनको मिलने वाले विभिन्न अनुदानों की निगरानी एवं इनके उपयोग में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य हेतु बजट

स्वास्थ्य मानव विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सूचक है एवं समाज के सामजिक एवं आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन देश में स्वास्थ्य के हालात बेहद कमजोर हैं साथ ही बड़ी संख्या में महिलायें एवं बच्चे एनिमिया एवं कुपोषण से ग्रसित है।

राजस्थान की बात की जाये तो एनएफएचएस–4 (वर्ष 2015–16) के अनुसार राज्य में करीब 46.8 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से ग्रसित हैं वहीं करीब 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। पोषण के अनुसार राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 39.1 प्रतिशत बच्चे औसत से कम लम्बाई (stunted) के हैं वहीं 6–59 महीने के बच्चों में से लगभग 60.3 प्रतिशत बच्चे एनिमिया के शिकार हैं तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 36.7 प्रतिशत बच्चों का वज़न जन्म के समय प्रमाणित वज़न से कम पाया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार देश 15–49 साल की महिलाओं में से लगभग 46.8 प्रतिशत महिलाऐं एनिमिया से ग्रसित हैं। राजस्थान की 2016–17 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 43 (प्रति हजार जीवित जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (37) से 6 अंक अधिक है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 244 (प्रति लाख जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (167) से 77 अंक अधिक है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब है। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जरीये प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियांवयन में बजट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्थान का कुल बजट (उदय बिना) 166753.55 करोड़ रूपये है जिसमें से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कुल 9750.6 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं, जो कुल राज्य बजट का 5.85 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.46 प्रतिशत कम है।

तालिका : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट विवरण (राशि करोड़ रू में)

		चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			परिवार कल्याण			महा योग
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	
2014–15 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3101.65	28.15	3129.77	0.00	0.00	0.00	**3129.771**
	आयोजना	1548.57	2951.25	4499.81	1073.78	0.00	1073.78	**5573.588**
	योग	**4620.19**	**2979.39**	**7629.58**	**1073.78**	**0.00**	**1073.78**	**8703.359**
2014–15 वास्तविक व्यय	आयोजना भिन्न	2982.83	22.80	3005.63	0.00	0.00	0.00	**3005.63**
	आयोजना	971.15	1996.60	2967.75	484.32	0.00	484.32	**3452.07**
	योग	**3953.99**	**2019.4**	**5973.39**	**484.32**	**0.00**	**484.32**	**6457.71**
2015–16 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3325.23	27.32	3352.55	0.00	0.00	0.00	**3352.55**
	आयोजना	1995.44	2999.59	4995.03	1068.69	0.00	1068.69	**6063.72**
	योग	**5320.67**	**3026.91**	**8347.58**	**1068.69**	**0.00**	**1068.69**	**9416.27**
2015–16 संशोधित अनुमान	आयोजना भिन्न	3240.63	24.63	3265.275	0.00	0.00	0.00	**3265.275**
	आयोजना	1715.01	2527.592	4242.6	733.51	0.00	733.51	**4976.11**
	योग	**4955.656**	**2552.22**	**7507.88**	**733.51**	**0.00**	**733.51**	**8241.39**
2015–16 वास्तविक	आयोजना भिन्न	3172.31	0.00	3172.31	23.40	0.00	23.40	**3195.72**
	आयोजना	1567.39	575.58	2142.96	2419.12	0.00	2419.12	**4562.08**
	योग	**4739.70**	**575.58**	**5315.28**	**2442.53**	**0.00**	**2442.53**	**7757.81**
2016–17 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3464.3	26.94	3491.25	-	0.00	-	**3491.25**
	आयोजना	2236.4	2547.95	4784.35	1261.78	0.00	1261.78	**6046.13**
	योग	**5700.7**	**2574.9**	**8275.61**	**1261.78**	**0.00**	**1261.78**	**9537.39**
2016–17 संशोधित अनुमान	आयोजना भिन्न	3573.02	0.00	3573.02	27.88	0.00	27.88	**3600.9**
	आयोजना	2059.04	645.22	2704.26	2268.31	0.00	2268.31	**4972.57**
	योग	**5632.06**	**645.22**	**6277.28**	**2296.19**	**0.00**	**2296.19**	**8573.47**
2017–18 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	5874.12	760.72	6634.84	848.7	0.00	848.7	**7483.53**
	आयोजना	193.95	569.9	763.86	1503.19	0.00	1503.19	**2267.04**
	योग	**6068.07**	**1330.62**	**7398.69**	**2351.88**	**0.00**	**2351.88**	**9750.57**

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में की गई कुल आवंटित राशि को दर्शाता है। तालिका द्वारा देखा जा सकता है की वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 9750.57 का बजट आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 9537.39 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे जो संशोधित बजट में घटकर 8573.47 रह गए। इससे यह पता चलता है कि जितनी राशि आवंटित हो रही है सरकार उतना खर्च नहीं कर रही। वर्ष 2017–18 राज्य सरकार की कुल अनुमानित बजट राशि में वर्ष 2015–16 और 2016–17 की अनुमानित बजट राशि की तुलना में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के आयोजना बजट में 2016–17 की तुलना में 213.18 करोड़ रू की बढ़ोतरी की गयी है जो बहुत अधिक नहीं है।

राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा

नीचे दी गयी तालिका राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा दर्शाती है:

तालिका : राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा (राशि करोड़ रू. में)

वर्ष		कुल राज्य बजट (उदय बिना)	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल आवंटन	प्रतिशत
2014–15	बजट अनुमान	131426.9	8703.359	6.62
	वास्तविक व्यय	116605.5	6457.71	5.54
2015–16	बजट अनुमान	137713.38	9416.27	6.84
	संशोधित अनुमान	137455.8	8241.40	5.99
	वास्तविक व्यय	129736.02	7757.8	5.98
2016–17	बजट अनुमान	151127.7	9537.39	6.31
	संशोधित अनुमान	148506.69	8573.5	5.77
2017–18	बजट अनुमान	166753.9	9750.6	5.85

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2017–18 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 5.85 प्रतिशत और 2016–17 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 6.31 प्रतिशत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किया गया जो 2016–17 के संशोधित बजट में घटकर 5.77 प्रतिशत, 2014–16 के लेखे में घटकर 5.98 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा 2017–18 में राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 0.46 प्रतिशत कम है।

शहरी एवं ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय

2016–17 में शहरी स्वास्थ्य पर आंवटित कुल राजस्व एवं पूंजीगत बजट 1978.17 करोड़ रूपये था जो 2016–17 के संशोधित बजट में घटकर 1943.67 करोड़ रूपये हो गया। 2016–17 के बजट अनुमान की तुलना में 2017.18 के बजट अनुमान में लगभग 185.66 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की गयी है। इसके अलावा 2016–17 के बजट अनुमान में ग्रामिण स्वास्थ्य पर किये जाना वाला कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 1991.99 करोड़ रूपये था जो संशोधित बजट में बढ़कर 2015.66 रूपये रह गया। इसके साथ ही वित्तीय

वर्ष 2017–18 में ग्रामिण स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल बजट अनुमान में 2197.86 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं जो गत वर्ष की तुलना में 205.87 करोड़ रूपये ज्यादा है। राजस्थान की लगभग 75 प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रों में रहती है इस हिसाब से देखें तो ग्रामिण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय से कम दिखता है।

नीचे दी गयी तालिका राज्य में शहरी एवं ग्रामिण स्वास्थ्य पर कुल खर्च को दर्शाती है

तालिका : शहरी एवं ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय **(राशि करोड़ रू. में)**

संख्या	मद	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
1	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी	1504.90	1390.43	1571.37	1558.34	1480.00	1649.86	1684.81	1790.77
2	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य	202.34	174.09	203.53	206.76	194.96	227.15	225.93	249.89
3	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत	196.32	157.55	113.59	51.02	23.04	101.17	32.93	123.17
कुल शहरी		**1903.54**	**1722.08**	**1888.49**	**1816.13**	**1698.00**	**1978.17**	**1943.67**	**2163.83**
4	ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी	1054.19	928.19	1164.69	1035.11	1026.05	1215.66	1291.85	1455.79
5	ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य	386.53	371.32	438.75	465.17	443.60	462.97	475.97	500.72
6	ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत	220.97	118.39	306.8	201.09	130.49	313.36	247.85	241.35
कुल ग्रामिण		**1661.69**	**1417.90**	**1910.24**	**1701.36**	**1600.14**	**1991.99**	**2015.66**	**2197.86**

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मुख्य आयोजनाओं के बजटीय प्रावधान

नीचे दी गई तालिका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आने वाली मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान को दर्शाती है।

तालिका : मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान (राशि करोड़ रू. में)

आयोजना	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	290.13	75.55	290.13	81.16	81.16	117.50	70.5	30.48
राष्ट्रीय ग्रामिण स्वास्थ्य मिशन	1830	1129.08	1834	—	1643.04	1622.61	1415.49	1525.21
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना	382.96	245.04	367.42	360.99	363.46	360.36	300.36	415.99
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना	119.37	71.76	117.18	87.93	111.83	129.46	117.06	131.06

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन :** वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पर अनुमानित बजट राशि 290.13 करोड़ रूपये थी 2014–15 के लेखे में घट कर सिर्फ 75. 55 करोड़ रूपये और 2015–16 का संशोधित बजट घटकर सिर्फ 81.16 करोड़ रूपये रह गयी। इससे सरकार की बजट राशि उपयोग न कर पाने की अक्षमता का ज्ञात होता है। 2016–17 की बजट अनुमान राशि में 2015–16 की बजट अनुमान राशि की तुलना में लगभग 51 प्रतिशत की कमी की गयी है।
- **राष्ट्रीय ग्रामिण स्वास्थ्य मिशन :** राष्ट्रीय ग्रामिण स्वास्थ्य मिशन में 2014–15 के बजट अनुमान में कुल 1965 करोड़ रूपय और 2015–16 के बजट अनुमान में कुल 1810 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो 2014–15 के लेखे में घट कर 1248.48 करोड़ रूपय और 2015–16 संशोधित बजट में घटकर 1674.58 हो गया। इसके अलावा 2016–17 के बजट अनुमान में 2016–17 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत की कमी की गयी है।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना :** वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुमानित बजट राशि में 382–96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमे से सिर्फ 245.04 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2015–16 की मुख्यमंत्री **निःशुल्क** दवा योजना की अनुमानित बजट राशि में कुल 367. 42 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो 2015–16 की संशोधित बजट में घटकर 360.99 करोड़ रूपये रह गया। इसके अलावा 2016–17 की बजट अनुमान राशि में 7 करोड़ रूपये की कमी की गयी है। प्रदेश में निशुल्क दवा योजना की जरूरत और लोकप्रियता को देखते हुए यह कमी चिंताजनक है।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना :** मुख्यमंत्री **निःशुल्क** जांच योजना में वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुमानित बजट राशि में 119.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमे से सिर्फ 71.76 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2015–16 के कुल बजट अनुमान 117.17 करोड़ रूपये थी जो 2015–16 की संशोधित राशि में घटकर 87.93 करोड़ रूपये रह गयी। 2016–17 की

अनुमानित बजट राशि को 2015–16 की अनुमानित बजट राशि की तुलना में लगभग 12 करोड़ रूपये घटाकर 105.50 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

राज्य में महिलाओं के लिये बजट तथा जेण्डर बजट का विशलेषण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 3.2 करोड़ महिलाएं हैं। जिनमें 2.4 करोड महिलाएँ (75 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 81 लाख महिलाएँ (25 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है। राजस्थान में लिंगानुपात वर्ष 2001 की तुलना में 922 से बढ़ कर 927 महिलाएँ प्रति 1000 पुरूष हो गया है परन्तु यह देश के लिंगानुपात की तुलना में कम है। मातृ–मृत्यु दर, कुपोषण, खून की कमी, बिमारी, बाल विवाह, लिंग अनुपात में कमी महिलाओं कि सामाजिक व आर्थिक स्थिति आदि महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दे है जिन पर ध्यान देने तथा शीघ्र सुधार कि आवश्यकता है परन्तु राज्य के बजट प्रावधानों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है की राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाला व्यय बहुत ही कम है और महिलाओं के विकास के प्रति सरकार का ध्याान अपर्याप्त है।

राज्य में महिलाओं के लिये बजट

राजस्थान में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख एजेंसी है जिसके द्वारा कयी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे मुख्यामंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, स्वावलम्बन योजना, समूहिक विवाह हेतु अनुदान, राज्य महिला आयोग, भामाशाह योजना, जैंडर संवेदनशील बजटिंग, किशोरी शक्ति योजना, घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 आदि। इन कार्यक्रमों के लिये बजट में मुख्य शीर्ष "सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" में प्रावधान रखा जाता है।

राज्य में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों के लिये बजट में राजस्व व्यय के लिये के मुख्य शीर्ष 2235 (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण) के उप मुख्य शीर्ष 02 (समाज कल्याण) के अन्दर लघु शीर्ष 103 (महिला कल्याण) तथा लघु शीर्ष 196 (जिला स्तर की पंचायतों को सहायता) की इकाई 02 (महिला अधिकारिता के जिला स्तरिय कार्यालयों हेतु) में प्रवधान रखा जाता है। इसके साथ ही मुख्य शीर्ष 2236 (पोषण) में भी महिला कल्याण के लिये बजट आवंटित किया जाता है। पूंजीगत व्यय के लिये मुख्य शीर्ष 4235 (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय) के उप मुख्य शीर्ष 02 (समाज कल्याण) के अन्दर लघु शीर्ष 103 (महिला कल्याण), लघु शीर्ष 789 (अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना) तथा लघु शीर्ष 796(जनजातिय क्षेत्र उपयोजना) एवं मुख्य शीर्ष 4236 (पोषण पर पूंजीगत व्यय) में आवंटित किया जाता है।

वर्ष 2017–18 के लिये पारित राज्य के कुल बजट 181753.9 करोड़ रूपये में से महिला एवं बाल विकास के लिये 1896.98 रूपये प्रसतावित किये गये हैं जो कि राज्य के पूर्ण बजट का सिर्फ 1 प्रतीशत ही है। पिछले वर्ष के संशेधित बजट की तुलना में यह करीब 270 करोड़ रू (16.6 प्रतीशत) ज्यादा है। वर्ष 2016–17 के लिये राज्य का कुल बजट 171260.99 करोड़ रू रखा गया था जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिये कुल 1748 करोड़ रूपये आवंटित किए गए जो राज्य के कुल बजट का केवल 1.02 प्रतिशत ही है। वर्ष 2015–16 में आवंटित महिलाओं के कल्याण के लिय राशि राज्य के कुल बजट का 1.2 प्रतिशत थी तथा 2014–15 के बजट में राज्य के कुल खर्च का 1.5 प्रतिशत भाग महिला कल्याण के लिये अनुमानित किया गया। यानी साफ है कि पिछले तीन वर्षों से महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च को लगातार घटाया जा रहा है।

निचे दी गई सारणी में महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च को दर्शाया गया है।

सारणी 1: राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये बजट (राशि करोड़ में)

मद	2015-16 AE				2016-17 BE				2016-17 RE				2017-18 BE		
	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	केन्द्रीय सहायता	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	केन्द्रीय सहायता	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग
राजस्व व्यय															
2235 –02-**103** महिला कल्याण	**4.66**	**6.58**	**11.24**	..	5.3	24.29	29.6	6.09	5.44	11.37	16.81	2.6	28.57	6.19	34.76
2235 –02–196 जिला स्तर की पंचायतों को सहायता – **(02)** महिला अधिकारिता के जिला स्तरिय कार्यालयों हेतु	**6.44**	**29.82**	**36.26**	..	7.5	40.16	47.75	10.04	6.77	78.36	85.13	5.28	240.28	9.51	249.8
2236 पोषण	91.24	1214.35	**1305.59**		97.26	1475.5	1572.76	727.52	107.75	1374.41	1482.16	648.62	858.47	645.06	1503.53
राजस्व व्यय का योग	**102.34**	**1250.75**	**1353.09**		**110.06**	**1539.95**	**1650.11**	**743.65**	**119.96**	**1464.14**	**1584.1**	**656.5**	**1127.3**	**660.76**	**1788.09**
पूँजीगत व्यय															
4235 –**103** महिला कल्याण		1.6	**1.6**		..	2.95	2.95	0		1.83	1.83	1	1.63	1.7	3.33
4235 –789 अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योंजना	..	..	**..**	..	..	0	0	0	..	0	0	0	..	0.3	0.3
4235 –796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	..	..	**..**	..	..	0	0	0	..	0	0	0	..	0.46	0.46
4236 पोषण	..	55.8	**55.8**	..	..	94.5	94.5	35.7	..	40.42	40.42	20.99	44.92	59.88	104.8
अन्य															
पूँजीगत व्यय का योग		**57.4**	**57.4**			**97.45**	**97.45**	**35.7**	**..**	**42.25**	**42.25**	**21.99**	**46.55**	**62.34**	**108.89**
महायोग	**102.34**	**1308.15**	**1410.49**	**0**	**110.06**	**1637.4**	**1747.56**	**779.35**	**119.96**	**1506.39**	**1626.35**	**678.49**	**1173.9**	**723.1**	**1896.98**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार वर्ष 2017–18 में महिला कल्याण के लिये आवंटित राशि को पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 9 प्रतिशत तथा संशोधित अनुमान से 17.95 करोड़ रू बढ़ाया गया है। हालांकी इसी मद में हर साल वास्तविक बजट संशोधित अनुमान से कम तथा संशोधित अनुमान बजट अनुमान से कम होता आ रहा है। ऐसे में इस वर्ष बढ़ाये गये बजट को संशोधित अनुमान में घटाये जाने की पूर्ण संभावना है। सारणी के अनुसार सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी महिला अधिकारिता के जिला स्तरिय कार्यालयों के बजट तथा पोषण के लिये हुयी है। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में महिला अधिकारिता के जिला स्तरिय कार्यालयों के बजट को इस वर्ष के बजट अनुमान में 164.67 करोड़ रू से बढ़ाया गया है। पोषण के लिये इस वर्ष के बजट अनुमान में आवंटित राशि को भी पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 83 करोड़ रू से बढ़ाया गया है।

महिला सुरक्षा

महिला सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति काफी चिंतनीय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष पांच राज्यों में आता है। 2015 में महिलाओं के खिलाफ राष्ट्रीय अपराध दर जहाँ 53.9 प्रतीशत था वहीं राजस्थान में 81.5 प्रतीशत था।

इस वर्ष अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिये अपराजिता स्कीम के तहत 15 जिलों में वन स्टॉप क्राईसिस सेन्टर खोलने की बात कही जो कि अभी केवल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में है। परन्तु सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए बजट में केवल 1 करोड़ रूपये का प्रावधान ही रखा गया है। इसी तरह चिराली योजना, जो 7 जिलों में चलायी जायेगी, के लिए केवल 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में 39 महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र है परन्तु हर वर्ष इनके लिए 1.5 करोड़ रूपये से भी कम प्रति केंद्र का बजट रखा जाता है। 2005 में पारित हुए घरेलु हिंसा से बचाव अधिनियम के लिए अभी तक कोई बजट नहीं रखा गया है और ना ही इस अधिनियम के तहत कोई सुरक्षा अफसर नियुक्त किये गये हैं।

राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को देखते हुये महिला सुरक्षा के लिये बजट का इतना कम होना दर्शाता है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सरकार की प्रथमिकता में नही है जो काफी चिंताजनक बात है।

राजस्थान में जेण्डर बजट

जेण्डर संवेदी बजट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सरकार के बजट एवं आयोजना प्रक्रिया को अधिक जेण्डर संवेदी बना कर समाज में महिला–पुरूष सामानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जेण्डर संवेदी बजट को जेण्डर बजट, महिला बजट, जेण्डर संवेदनशील बजट आदि नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा बजट में सरकार की प्रथमिकताएं तथा साकारी खर्चों का महिलाओं, पुरूषों, लड़कियों एवं लड़कों पर प्रभाव देखा जा सकता है।

राजस्थान सरकार ने 2006–07 में पहली बार, राजस्व विभाग सहित, अपने 6 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया जिसके पश्चात 2007–08 में फ़िर 8 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया गया। वर्ष 2009 में महिला एवं विकास विभाग में जेण्डर बजट सेल की स्थापना की गयी तथा 2010 में मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनाई गयी। अगस्त 2011 में जारी किये गये बजट सर्कुलर में पहली बार जेण्डर बजट को लागू करने की बात की गयी। अगले वर्ष राजस्थान बजट 2012–13 में जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को महिला लाभार्थीयों के प्रतिशत के अनुसार निम्न दी गयी सारणी में दर्शायी गयी श्रेणियाँ प्रदान की गई।

सारणी 2: राज्य के जेण्डर बजट विवरण में सरकारी कार्यक्रमों को दिये जाने वाली श्रेणियाँ

श्रेणी	महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत
A	<70%
B	70-30%
C	30-10%
D	<10%

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

परन्तु सारणी 2 में दर्शायी श्रेणियाँ कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केंद्र प्रवर्तित योजना को अलग अलग दिया जाता है।

राज्य का जेण्डर बजट का विश्लेषण

इस वर्ष के जेण्डर बजट में बीते वर्ष की ही तरह फिर से बजट फाइनलिजेशन कोमिटी (बी.एफ.सी) वार सूचना दी गयी है। हालांकि इस वर्ष क्योंकि बजट पेश करने के तरीके में बदलाव किये गये हैं इसलीय जेण्डर बजट विवरण को गैर योजना व योजना खर्च में ना दिखा कर राजस्व एवं पूंजिगत खर्च में दिखाया गया है। जेण्डर बजट विवरण का विशलेषण करने पर ज्ञात होता है कि 2017–18 में राज्य के कुल बजट का केवल 31.18 प्रतिशत ही जेण्डर घटक के लिये प्रस्तावित किया गया है। 2016–17 में राज्य के कुल बजट में योजना खर्च के जेण्डर घटक में वर्ष 2015–16 की तुलना में लगभग 0.28% की कमी हुयी है तथा गैर योजनागत खर्च के जेण्डर घटक में भी 1.01% की कमी हुयी थी।

सारणी 3.1: राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक का प्रतिशत (%)

वर्ष	गैर योजना खर्च	योजना खर्च	केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च
2012–13	19.14	32.97	50.82
2013–14	19.94	35.24	54.33
2014–15	18.62	38.99	46.18
2015–16	**19.68**	**42.46**	–
2016–17	**18.67**	**42.18**	–

स्रोतः बजट पुस्तकों के आधार पर

सारणी 3.2: 2017–18 में राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक

खर्च	राज्य का कुल बजट	जेण्डर घटक	%
राजस्व	143690.09	42309.61	29.45
पूंजिगत	25603.08	10480.58	40.93
कुल	169293.17	52790.19	31.18

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

आगामी वर्ष के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिये निश्चित की गयी योजनाओं एवं उनपर किये जाने वाले खर्च के बारे में इस बजट से कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया है जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बी.एफ.सी वार दी गयी है जिस कारण योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है तथा उनके गैर योजना खर्च, योजना खर्च व केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च में तथा नये नियमों के अनुसार राजस्च एवं पूंजिगत खर्च में दी जाती है। अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

सारणी 4.1: जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

व्यय मद	A			B			C			D			कुल		
	2014–15	2015–16	2016–17	2014–15	2015–16	2016–17	2014–15	2015–16	2016–17	2014–15	2015–16	2016–17	2014–15	2015–16	2016–17
आयोजना भिन्न	22	23	**22**	185	164	**195**	107	95	**99**	37	59	**49**	351	**341**	**365**
प्रतिशत (%)	6.26	6.74	**6.02**	52.7	48.09	**53.42**	30.48	27.8	**27.12**	10.54	17.3	**13.42**	100	**100**	**100**
आयोजना	72	86	**94**	453	430	**491**	162	193	**66**	38	34	**37**	725	**743**	**688**
प्रतिशत (%)	9.93	11.57	**13.66**	62.48	57.8	**71.36**	22.34	25.9	**9.5**	5.24	4.57	**5.3**	100	**100**	**100**
केंद्र प्रवर्तित योजना	19			39			27			25			110		
प्रतिशत	17.27			35.45			24.54			22.72			100		

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

सारणी 4.2: 2017–18 में बजट पेश करने के नियमों में बदलाव के बाद जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

श्रेणि	राजस्व	%	पूंजिगत	%
A	118	14.3	9	2.5
B	457	55.3	268	75.07
C	197	23.8	77	21.5
D	53	6.4	3	0.8
कुल	**825**	**100**	**357**	**100**

स्रात – बजट पुस्तकों के आधार पर

4.1 तथा 4.2 सारणियों से पता चलता है कि हर वर्ष की ही तरहा इस वर्ष भी 'बी' श्रेणी सबसे ज्यादा योजनाओं/कार्यक्रमों को दी गयी है। वर्ष 2016–17 में जेण्डर बजट विवरण के अनुसार जेण्डर बजट के योजना खर्च में 'ए' एवं 'बी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 2% की तथा 13% तक की वृद्धि हुई है जबकी 'सी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 16.4% तक कमी आयी है एवं 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों लगभग पिछले वर्ष के बराबर हैं। गैर योजना खर्च खर्च में 'ए' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में की मामूली सी कमी हुयी है जबकि बी

एवं सी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग वृद्धि हुयी है। 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 4% की कमि हुयी है।

वर्ष 2017–18 में भी पिछले वर्षों की तरहा राजस्व तथा पूंजिगत खर्च दोनों में हीं 'बी' श्रेणी में सबसे ज्यादा योजनायें/कार्यक्रम हैं।

जेण्डर बजट विवरण की कुछ समस्याएँ

- जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बजट फाइनलिजेशन कोमिटी (BFC) वार सूचना दी गयी है। सरकार के बाहर किसी को यह पता नहीं होता कि किस विभाग में कितनी BFCs हैं, इसलिए किसी विभाग के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।
- योजनाओं/कार्यक्रमों को कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है, अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
- योजनाओं/कार्यक्रमों को श्रेणी लाभान्वितों में महिलाओं के अनुपात के आधार पर दिया गया है, परंतु विभागों के पास लिंग वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
- पिछले वर्ष के जेण्डर बजट की वास्तविक स्थिति का विवरण उपलब्ध नहीं होता है।
- यह स्पष्ट नहीं है की किन मामलों में स्त्री एवं पुरूष लाभार्थियों के लिए ऑकड़े उपलब्ध हैं तथा किन मामलों में यह अनुमान आधारित है।

राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट

राष्ट्रीय स्तर पर स्थितिः भारत में करीब 47.2 करोड़ आबादी 0 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की है, जो देश की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। लेकिन देश में सामाजिक एवं आर्थिक पैमाने पर बच्चों की स्थिति काफी खराब है, चाहे वो अधिकार एवं विकास की दृष्टि से हो या सुरक्षा एवं संरक्षण के लिहाज से। हालांकि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1989 के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व के करीब 193 देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन देश में आज भी एक तरफ बड़े पैमाने पर बच्चे बाल मजदूरी, बच्चों की तस्करी एवं विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार हैं और दूसरी ओर बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु नई **"राष्ट्रीय बाल नीति 2013"** अपनाई। हालांकि यह नीति बच्चों को राष्ट्रीय संपदा मानकर इनके अधिकारों पर ज़ोर देती है लेकिन देश में केन्द्रीय एवं राज्य बजट का आंकलन किया जाये तो इनके विकास एवं संरक्षण हेतु पर्याप्त आवंटन नहीं किया जाता है।

राज्य स्तर पर स्थिति : राजस्थान में भी करीब 2.99 करोड़ जनसंख्या (जनगणना 2011) 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है जो राज्य की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। वहीं अगर 0–6 आयुवर्ग के बच्चों की बात की जाये तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में करीब 15.5 प्रतिशत इस आयु वर्ग की है। राज्य में बच्चों की स्थिति काफी कमज़ोर है एवं राजस्थान की बालिका नीति–2013 के अनुसार राज्य में करीब 12.62 लाख (जनगणना 2001) बाल श्रमिक हैं जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकायें हैं। राज्य

में करीब 22 प्रतिशत लड़कियों की शादी वैधानिक उम्र से पूर्व हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियां भी राज्य में बेहद खराब है। राज्य में बच्चों को केन्द्रीत करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाये जा रहे हैं जो मुख्य रुप से बच्चों की शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पोषण से संबंधित हैं। प्रस्तुत नोट में राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय : राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का आंकलन करने के लिये विभिन्न विभागों में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बजट को संकलित किया गया है। जिसको मुख्य रुप से चार क्षेत्रों शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पोषण आदि में विभक्त किया गया है।

राज्य में बाल केन्द्रीत बजट का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है। राज्य में मोटे तौर पर बाल केन्द्रीत कार्यक्रमों पर कुल राज्य बजट की तकरीबन 18 से 20 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है, पर विभिन्न वर्षों में इसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है।

राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण :

तालिका : राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण **(राशि करोड़ रू. में)**

मद / वर्ष	2014–15 वास्तविक	2015–16 अनुमान	2015–16 संशोधित	2015–16 वास्तविक	2016–17 अनुमान	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमान
शिक्षा	18614.06	22919.56	21509.39	20427.64	24537.18	25156.83	26532.44
बाल संरक्षण	184.94	204.35	190.52	173.38	200.10	173.08	179.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2037.63	3047.80	2573.166	2462.31	2595.933	2316.63	2053.53
विकास एवं पोषण	1977.81	2355.14	2275.51	1343.68	2376.53	2217.23	2298.26
कुल बाल केन्द्रीत बजट	22814.44	28526.84	26548.54	24407.01	29709.75	29863.78	31063.24
कुल राज्य बजट	116605.48	137713.39	137455.8	129736.02	151127.7	148506.69	29011.35
राज्य बजट से प्रतिशत	19.57%	20.71%	19.31%	18.81%	19.66%	20.11%	18.63%

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष

उपरोक्त तालिका द्वारा ये देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष राज्य बजट का करीबन 19–20 प्रतिशत भाग बच्चों के विकास के ऊपर आवंटित किया जाता है। वर्ष 2016–17 की तुलना में 2017–18 में बाल शिक्षा में 1995.26 करोड़ रु. की बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर बाल संरक्षण को 21.1 करोड़ रू,बाल विकास एवं पोषण को 78.27 करोड़ रू और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 542.40 करोड़ रु की राशि आवंटित की गई है। इस वर्ष कुल राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान के मुकाबले 1.03 प्रतिशत घट गया है जो चिंताजनक बात है।

वर्ष 2016–17 में राज्य के कुल बजट में इसी वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 2621.01 करोड़ रु. की गिरावट आयी है परंतु बाल बजेट में 154.03 करोड़ रु की बढ़ोतरी हुई है। तालिका द्वारा यह भी देखा जा सकता है। इसी तरह वर्ष 2015–16 का वास्तविक खर्च इसी वर्ष के संशोधित बजट के मुकाबले भी कम रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य सरकार बजट को पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पा रही है।

बाल केन्द्रीत बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण : जैसा कि पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि बाल बजट का आंकलन करने के लिये राज्य में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य में बाल बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाये तो सर्वाधिक आवंटन एवं व्यय (करीब 80 प्रतिशत) शिक्षा पर किया जाता है। साथ ही बाल संरक्षण पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि स्वास्थ (परिवार कल्याण सहित) पर 5 से 7 प्रतिशत तथा शेष बाल विकास एवं पोषण पर आवंटन किया जाता है। अतः बाल केन्द्रीत बजट की अधिकांश राशि शिक्षा एवं संबंधित मदों पर व्यय की जाती है।

इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के कुल बाल बजट में बाल संरक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर बजट आवंटन तुलनात्मक रुप से बहुत ही कम है। अतः बच्चों के स्वास्थ्य एवं संरक्षण संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन एवं इनको मज़बूत करने हेतु बजट आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य में बच्चों से संबंधित प्रमख मुद्देः

- राज्य में करीब 12.62 लाख बाल श्रमिक हैं जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकायें हैं। जबकि बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु बजट नहीं के बराबर है।
- राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। राज्य में करीब 36.8 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं साथ ही शिशु मृत्यु दर भी 43 (1000 जीवित जन्म पर) है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- राज्य में बाल केन्द्रीत बजट का अधिकांश हिस्सा शिक्षा एवं संबंधित गतिविधियों पर व्यय किया जाता है वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र (परिवार कल्याण सहित) पर करीब 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है।
- यदि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में से परिवार कल्याण के बजट को हटा दिया जाये तो यह भी 1 प्रतिशत से कम रह जाता है।
- राज्य में बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं में समंवित बाल संरक्षण योजना, बाल श्रमिक कल्याण एवं समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों एवं क्षेत्रों के समकक्ष लाने हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं वर्ष

1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) की रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गों के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2001 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.1 एवं 12.5 प्रतिशत है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत बढकर क्रमशः 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत हो गया है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात आवंटित करना चाहिये।

उपयोजनाओं के लागू होने के 35–40 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है तथा यह स्थिति केन्द्र एवं देश के करीब सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 3–4 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एवं उत्तराखंड सरकारों द्वारा अपने राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये कानून बनाया है। राजस्थान में सरकार द्वारा वर्ष 2013 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया गया था। लेकिन इसके बाद इस मसौदे को कानून रुप देने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

2017–18 के बजट में आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति : उपयोजनाओं हेतु आवंटन का आधार समाप्त : गौरतलब है कि गत वर्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2017–18 से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरुप राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बजट का योजना व गैर योजना वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में बजट आवंटन यथावत् रखा गया है। लेकिन राज्य बजट में यह देखना मुश्किल है कि कुल योजनागत बजट में दोनों उपयोजनाओं का आवंटन अनुपात कितना है। हम जानते हैं कि इन उपयोजनाओं का आधार आयोजना बजट है एवं सरकारों को अपने आयोजना बजट की आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में इन उपयोजनाओं के तहत राशि आवंटित करना होता है। अतः राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरह उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जाने बजट आवंटन को दर्शाने हेतु 21 एवं 21a स्टेटमेंट जारी करने चाहिये। इसके अलावा बड़े स्तर पर विमर्श तथा चर्चा के आधार पर दलित तथा आदिवासी समुदायों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिये रणनीति तैयार करनी चाहिये।

उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन की स्थिति : प्रस्तुत नोट में राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

निचे दी गयी तालिका के अनुसार इस वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 9245.51 करोड़ रु. आवंटित किये हैं। गत वर्ष 2016–17 के अनुमानित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 6950.61 करोड़ रु. आवंटित किये थे, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.32 प्रतिशत था जिसको संशोधित बजट में कुछ बढ़ाकर 7934.99 करोड़ रु. कर दिया गया है एवं इस उपयोजना का प्रतिशत भी करीब 13 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल

बजट करीब 5884.94 करोड़ रु. आवंटित किये थे जबकि वास्तविक व्यय करीब 5540.98 करोड़ रु. रहा जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 11 प्रतिशत है।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अंतर्गत गत 4–5 वर्षों में हुए आवंटन एवं व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका : राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति **(राशि करोड़ रु. में)**

वित्तिय वर्ष	राज्य का कुल आयोजना व्यय	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट	जनजाति उपयोजना बजट
2012–13 वास्तविक व्यय	27159.27	2232.49 (8.22)	1826.59 (6.73)
2013–14 बजट अनुमान	31516.27	3091.27 (9.8)	2770.39 (8.8)
2013–14 वास्तविक व्यय	29109.65	2887.92 (9.92)	2650.45 (9.11)
2014–15 बजट अनुमान	57115.26	4814.65 (8.43)	4150.45 (7.27)
2014–15 वास्तविक व्यय	44176.87	3887.15 (8.8)	3302.64 (7.48)
2015–16 बजट अनुमान	57322.77	5545.78 (9.67)	4626.75 (8.07)
2015–16 वास्तविक व्यय	50177.65	5540.98 (11.04)	4316.03 (8.60)
2016–17 बजट अनुमान	67339.97	6950.61 (10.32)	7314.94 (10.86)
2016–17 संशोधित अनुमान	60497.15	7934.99 (13.12)	5638.53 (9.32)
2017–18 बजट अनुमान	–	9245.51	7430.88

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर
नोट : ( ) कोष्टक में राज्य के कुल योजनागत बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बजट का प्रतिशत दर्शाया गया है।
नोट– * वर्ष 2017–18 से बजट का आयोजना एवं गैर आयोजना वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है इसलिये इस साल के बजट अनुमान में उपयोजनाओं का राज्य आयोजना बजट से प्रतिशत नहीं दिखाया गया है।

इसी प्रकार इस वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट में जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 7430.88 करोड़ रु. आवंटित किये हैं। गत वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल लगभग 7314.94 करोड़ रु. प्रस्तावित किये थे, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.8 प्रतिशत है एवं संशोधित बजट में इसको कम करके करीब 5638.53 करोड़ रु. कर दिया गया है। वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट में जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल बजट लगभग 5434.18 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे जबकि वास्तविक व्यय करीब 4316.03 करोड़ रु. रहा, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 8.6 प्रतिशत है।

विगत 7–8 वर्षों के आंकड़ों पर अगर गोर किया जाये तो वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक दोनों उपयोजनाओं के आवंटन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान एवं 2016–17 के संशोधित अनुमान में राज्य के योजनागत बजट (उदय के अलावा) की तुलना में दोनों उपयोजनाओं के अनुपात में विगत वर्षों की तुलना में बढ़ोतरी हुयी है। फिर भी राज्य में उपयोजनाओं का आवंटन अभी भी मानदंड की तुलना में काफी कम है। फलतः राज्य के दलित एवं आदिवासी करोड़ों रु. की विकास योजनाओं से वंचित होंगें।

आयोजना विभाग एवं वित्त विभाग के आंकड़ों में अंतरः

इसके अलावा सोचने वाली बात यह है कि बजट पुस्तिका–4ब में राज्य सरकार द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस साल अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आवंटन दलित एवं आदिवासी जनसंख्या के अनुरुप ही (करीब 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत) है। इस पुस्तिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2017–18 हेतु कुल योजनागत बजट करीब 81157.97 करोड़ रु. है जिसमें जनजाति उपयोजना हेतु करीब 11218.93 करोड़ रु. एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु करीब 14483.93 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं। यह आंकड़ा आयोजना विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है जिसमें उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुसार ही दर्शाया जाता है। लेकिन वित्त विभाग की विस्तृत बजट पुस्तिकाओं को आधार मानकर उपयोजनाओं हेतु एवं इनके लिये निर्धारित उपशीर्षो (टीएसपी–796 एवं एससीएसपी–789) में दर्शाय गये बजट आंवटन को जोड़कर देखा जाये तो यह मानदंड से बहतु ही कम (तालिका में दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार) पाया जाता है।

राज्य की पूर्व सरकार ने उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन एवं इनको कानूनी रुप देने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया था। लेकिन अभी तक राज्य में उपयोजनाओं को कानूनी रुप देने हेतु तैयार किये गये मसौदे पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अतः सरकार को राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन तथा बजट आवंटन एवं व्यय को इनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु इन उपयोजनाओं के संबंध में निर्मित मसौदा विधेयक को उपयुक्त सुधारों के साथ शिघ्र ही कानूनी रुप देने हेतु कदम उठाने चाहिये। इसके अलावा राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरह उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जाने बजट आवंटन को दर्शाने हेतु अलग स्टेटमेंट जारी करने चाहिये। अतः उपयोजनाओं के मुद्दे पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ आमजन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को इस मुद्दे पर गंभीरता से विमर्श करना चाहिये।

राज्य बजट में विशेष योग्यजनों हेतु आवंटन तथा खर्च

देश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 2.68 करोड़ तथा राजस्थान में करीब 15.63 लाख विशेष योग्यजन हैं यह आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 2.28 के आस पास हैं। यह समुदाय मुख्यतः शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर है तथा विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। हांलाकि, केन्द्र एवं राजस्थान सरकार ने वर्ग को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाने तथा सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से बचाने के लिये समय समय पर विशेष प्रावधान एवं प्रशासनिक इकाईयों (व्यवस्थाओं) का गठन किया गया है। पिछले कुछ दशकों में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याण तथा उत्थान हेतु किये विशेष योजनाओं के तहत राज्य बजट से तथा केन्द्र सरकार से राशि आवंटन प्रारम्भ हुआ है।

राज्य बजट में विशेष योग्यजनों के लिए राशि आवंटन मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235), सामान्य शिक्षा (2202), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का पूंजीगत मद (4235) तथा शिक्षा का पूंजीगत मद (4202) के माध्यम से किया जाता हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग विशेष योग्यजनों के लिए छात्रावास संचालन, विकलांग छात्रवृति, विशेष योग्यजनों के पुर्नवास व पेन्शन, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से विकलांग हेतु एकीकृत शिक्षा पर व्यय किया जाता है।

तालिका राज्य में विकलांगों की आबादी **(संख्या करोड़ में)**

	संख्या	पुरूष	महिला
कुल	1563694 (2.27)	848287 (2.39)	715407 (2.17)
ग्रामीण	1219186 (2.37)	655135 (2.46)	564051 (2.27)
शहरी	344508 (2.02)	193152 (2.17)	151356 (1.86)

स्रोतः– जनगणना 2011

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 15.63 लाख विकलांग हैं जो राज्य की कुल जनसंख्या का 2.27 प्रतिशत हैं। यदि देखा जाये तो राज्य कि कुल ग्रामीण आबादी में लगभग 2.37 प्रतिशत तथा शहरी आबादी में लगभग 2.02 प्रतिशत हिस्सा विशेष योग्यजनों का है। राज्य की कुल पुरूष आबादी में लगभग 2.39 प्रतिशत विशेष योग्यजनों की है तथा राज्य की कुल ग्रामीण पुरूष जनसंख्या में लगभग 2.46 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या में लगभग 2.17 प्रतिशत हिस्सा विशेष योग्यजनों का है। राज्य की कुल महिला आबादी में लगभग 2.17 प्रतिशत विशेष योग्यजनों की है तथा राज्य की कुल ग्रामीण महिला जनसंख्या में लगभग 2.27 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या में लगभग 1.86 प्रतिशत हिस्सा विशेष योग्यजनों का है।

तालिका : विकलांगता की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण **(संख्या लाखों में)**

विकलांगता के प्रकार	व्यक्ति	प्रतिशत
विकलागों कि जनसंख्या	15.63	100%
देखनें में विकलांग	3.14	20.12%
सुनने में विकलांग	2.18	13.99%
बोलने में विकलांग	0.69	4.44%
चलनें में विकलांग	4.27	27.33%
मानसिक विकलांग	1.22	7.8%
मानसिक बीमार	0.41	2.63%
मानसिक विमंदित	0.81	5.21%
अन्य प्रकार के विकलांग	1.99	12.72%
एक से अधिक विकलांगता	2.11	13.51%

स्रोतः– जनगणना 2011

तालिका से जनगणना 2011 के मुताबिक राज्य में विशेष योग्यजनों के वर्गीकरण को समझा जा सकता है। राज्य में विकलांगता का सर्वाधिक प्रतिशत चलने में 27.33 प्रतिशत तथा देखने में 20.12 प्रतिशत है। इसके साथ ही कुल विकलांगता में सुनने में विकलांगता लगभग 13.99 प्रतिशत, एक से अधिक विकलांगता लगभग 13.51 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार से विकलांगता लगभग 12.72 प्रतिशत है। राज्य की कुल विकलांगआबादी में लगभग 15.64 प्रतिशत हिस्सा मानसिक विकलांग, बीमार तथा विमंदितो का तथा 4.44 प्रतिशत हिस्सा बोलने में विकलांगता वालो का हैं।

तालिका : विकलांगों के लिये राज्य बजट से राशि आवंटन **(राशि करोड में)**

विवरण	2012–13 वास्तविक व्यय	2013–14 वास्तविक व्यय	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	102.80	197.90	237.80	239.12	259.08	265.89
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पूँजीगत	9.40	8.80	4.50	–0.65	3.54	7.77
सामान्य शिक्षा	2.45	4.24	2.66	3.84	14.50	10.21
योग	**114.7**	**210.9**	**244.96**	**242.31**	**277.13**	**283.86**

स्रोत : बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से राज्य सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याण हेतु खर्च को समझा जा सकता है। वर्तमान वर्ष 2017–18 में सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याण हेतु कुल 283.86 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है, यह राशि आवंटन पिछले सभी वर्षों में आवंटन की तुलना में सर्वाधिक है। यदि देखा जाये

ता वर्ष 2016–17 में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 35 करोड़ रू. वृद्धि तथा वर्तमान वर्ष 2017–18 में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 06 करोड़ रू. की बढ़ोत्तरी की गई है। यहां यह ध्यातव्य रहे कि वर्तमान वर्ष में विकलांगों के कल्याण हेतु आवंटित राशि, राजय के कुल बजट की केवल 0.17 प्रतिशत है।

तालिका : राज्य के कुल बजट से तुलना **(राशि करोड में)**

वर्ष	राज्य का बजट	विकलांग कल्याण हेतु आवंटन	प्रतिशत
2012–13 वास्तविक व्यय	81263.91	114.70	0.14 %
2013–14 वास्तविक व्यय	94101.08	210.90	0.22 %
2014–15 वास्तविक व्यय	116605.48	244.96	0.21 %
2015–16 वास्तविक व्यय	129736.02	242.31	0.19 %
2016–17 संशोधित अनुमान	148506.69	277.13	0.19 %
2017–18 बजट अनुमान	166753.90	283.86	0.17 %

स्रोत : बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका संख्या 3.4 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विकलांगों हेतु आंवटित बजट में पिछले सभी 6 वर्षों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी जा सकती है तथा विकलांगों के कल्याण का बजट 2012–13 में 114.70 करोड़ से बढ़कर वर्तमान वर्ष 2017–18 में 283.86 करोड़ रू. हो गया है। लेकिन यदि राज्य के कुल बजट की तुलना में विकलांगों के कल्याण हेतु आवंटन को देखा जाये तो स्थिति बिल्कुल विपरीत दिखती है। पिछले लगभग 5 वर्षों में विकलांगों का बजट राज्य के कुल बजट का 2013–14 में 0.22 से गिरकर वर्ष 2017–18 में केवल 0.17 प्रतिशत ही रह गया है।

विशेष योग्यजन के पेंशन बजट आवंटन

राजस्थान में विशेष योग्यजनों (शारीरिक एवं मानसिक) को आर्थिक सुरक्षा तथा सहायता उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से दो पेंशन योजनाओं (इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन तथा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान वर्ष तथा पिछले वर्षों में राशि आवंटन निम्नानुसार रहा है।

तालिका : विकलांगों हेतु पेंशन योजनाएं **(राशि करोड में)**

विवरण	2012–13 वास्तविक व्यय	2013–14 वास्तविक व्यय	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	3.99	5.73	4.55	4.36	5.75	6.19
अनुसूचित जाति हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	1.05	1.51	1.29	1.18	1.82	2.01
जनजाति हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	0.70	1.29	1.33	1.15	1.52	1.70
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	87.26	171.25	205.51	204.04	216.50	218.00
योग	**93.00**	**179.78**	**212.68**	**210.73**	**225.59**	**227.09**

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका संख्या 3.3 के अध्ययन से केन्द्र एवं राज्य द्वारा विकलांगों के पेंशन हेतु राशि आवंटन एवं खर्च को समझा जा सकता है। विकलांगों के पेंशन हेतु केन्द्र द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजनान्तर्गत तथा राज्य द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत राशि आवंटन किया जाता है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के लिये भी राशि आवंटन को देखा जा सकता है। यदि देखा जाये तो पिछले 6 वर्षों में दिव्यांगों के लिये पेंशन की राशि में वर्ष दर वर्ष समुचित वृद्धि हुई है। वर्ष 2015—15 में विकलांगों के पेंशन हेतु कुल 210.73 करोड़ रू. का व्यय किया गया, जिसे वर्ष 2016—17 के संशोधित बजट में बढ़ाकर 225.59 करोड़ रू. किया गया। लेकिन वर्तमान वर्ष में विकलांगपेंशन हेतु कुल 227.09 करोड़ का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में केवल 1.5 करोड़ रू. की बढोतरी की गई है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार विकलांग पेंशन हेतु खर्च एवं लाभान्वितः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2015—16 के अनुसार विकलांगों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन तथा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत राशि आवंटन तथा लाभान्वितों की जानकारी निम्न प्रकार है।

तालिका : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना **(व्यय राशि लाखों में)**

क्र.सं.	वर्ष	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन		मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन	
		व्यय राशि	लाभान्वित	व्यय राशि	लाभान्वित
1	**2011—12**	446.34	15442	7629.05	115339
2	**2012—13**	573.78	17549	8726.27	147127
3	**2013—14**	854.48	22874	17125.67	328302
4	**2014—15**	718.97	23182	20551.14	355027
5	**2015—16***	523.34	17324	14760.00	325407

स्रोतः— वेबसाईट, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, राजस्थान (दिसम्बर 2015 तक)

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से केन्द्र एवं राज्य सरकार की विकलांगों हेतु पेंशनाओं में आवंटन, खर्च तथा लाभान्वितों की स्थिति को समझा जा सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना में वर्ष 2014—15 में कुल 718.97 लाख रू. का व्यय करते हुए कुल 23182 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। पिछले वर्ष 2015—16 में दिसम्बर तक कुल 523.24 लाख रू. का व्यय करके कुल 17324 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। यदि देखा जाये तो पिछले 5 वर्षों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना की राशि तथा लाभान्वित संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी जा सकती है।

इसी तरह मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना हेतु खर्च तथा लाभान्वितों की स्थिति को समझा जा सकता है। वर्ष 2014—15 में कुल 20551.14 लाख रू. का व्यय करते हुए कुल 355027 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। पिछले वर्ष 2015—16 में दिसम्बर तक कुल 14760 लाख रू. का व्यय करके कुल 325407 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। यदि देखा जाये तो पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना की राशि तथा लाभान्वित संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी जा सकती है।

राज्य में अलपसंख्यकों के लिये बजट में मामूली बढ़ोतरी पर फिर रहा कुल बजट के एक प्रतिशत से कम

राज्य में अलपसंख्यकों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 11.5 प्रतिशत अर्थात 78.9 लाख है जिसमें मुसलमान 62.15 लाख, सिक्ख 8.7 लाख, ईसाई 0.9 लाख, जैन 6.2 लाख एवं बौद्ध 0.12 लाख है। 2001 में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 10.07 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 10.07 प्रतिशत अर्थात 56.89 लाख थी जिसमें मुसलमान 47.88 लाख, सिक्ख 8.18 लाख, ईसाई 0.73 लाख एवं बौद्ध 0.10 लाख थे।

अल्पसंख्यक समुदाय में साक्षरता दर कम होने, बच्चों की जन्म मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक होने, रोजगार के अवसर कम होने आदी कारणों से ये विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुये हैं, अतः इनके विकास एवं उत्थान के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में त्वरित गति से कार्य कराये जाने तथा कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं व शिकायतों के निदान के लिय राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी) के लिये केन्द्र सरकार की तर्ज पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों से संबन्धित विभिन्न संस्थाएं जैसे राज्य हज कमेटी, वक्फ विभाग, मदरसा बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम एवं राजस्थान वक्फ विभाग परिषद भी अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

राज्य में अलपसंख्यक मामलात विभाग का बजट

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जाता है और साथ ही राज्य में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके अलावा जरूरतमंद अल्पसंख्यकों को कारोबार ऋण, शिक्षा ऋण आदि आसान दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2017–18 में पारित बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये कुल 166.44 करोड़ रूपये आवंटित हुए जो कि भी गत वर्ष की ही तरहा राज्य के कुल बजट का केवल 0.09 प्रतिशत ही है जो कि नगण्य है। यह गत वर्ष के आय– व्ययक अनुमान से केवल 0.02 प्रतिशत ही बढ़ाया गया है।

सारिणी 1 में पिछले चार वर्षों में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये आवंटित राशि का राज्य के कुल बजट में अनुपात दिखाया गया है जिससे यह चिंताजनक स्तिथी दिखाई देती है कि किसी भी वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग को आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1 प्रतिशत भी नहीं है।

सारिणी 1: पिछले तीन वर्षों में राज्य बजट में अल्पसंख्यकों को आवंटन (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल बजट	अल्पसंख्यक	प्रतिशत
2014-15 (परिवर्तित बजट अनुमान)	131426.89	115.5	0.08
2014–15 (संशोधित अनुमान)	126111.62	87.53	0.06
2014–15 (लेखे)	116605.48	79.5	0.06
2015-16 (बजट अनुमान)	137713.38	102.166	0.07

2015–16 (संशोधित अनुमान)	180420.42	109.62	0.06
2015–16 (लेखे)	169785.78	97.01	0.06
2016-17 (बजट अनुमान)	171260.99	155.47	0.09
2016-17 (संशोधित अनुमान)	170878.88	155.71	0.09
2017-18 (बजट अनुमान)	181753.9	166.44	0.09

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि राज्य बजट के मुख्य शीर्ष 2225, 4225 तथा 6225 के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष 04 से, मुख्य शीर्ष 2202 के उपमुख्य शीर्ष 800 से एवं 2250 के उपमुख्य शीर्ष 102 से आवंटित की जाती है जिसका विवरण सारिणी 2 में दिया गया है।

सारिणी 2: अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि का विश्लेषण (राशि करोड़ में)

वर्ष/लेखा शीर्ष		2202	2225	2250	4225	6225	महायोग
		सामान्य शिक्षा – मदरसा स्कूल/ बोर्ड (उपमुख्य शीर्ष 800)	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय (उपमुख्य शीर्ष 04)	अन्य सामाजिक सेवाएं – वक्फ ट्रिब्यूनल (उपमुख्य शीर्ष 102)	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पुंजीगत परिव्यय (उपमुख्य शीर्ष 04)	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज (उपमुख्य शीर्ष 04)	अल्पसंख्यकों का कल्याण का योग
BE 2014-15 (परिवर्तित)	आयोजना भिन्न	0	10.51	0.4	0	0	10.91
	आयोजना	63.77	35.84	0	2.5	2.5	104.61
	कुल	63.77	46.36	0.4	2.5	2.5	115.53
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	3.15	29.77	0	0	0	32.92
RE 2014-15	आयोजना भिन्न	0	8.53	0.4	0	0	8.95
	आयोजना	52.89	14.4	0	8.5	2.65	78.58
	कुल	52.89	23.02	0.4	8.5	2.65	87.53
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	9.39	0	5.6	0	15.018

AE 2014-15	आयोजना भिन्न	0	8.3	0.5	0	0	8.8
	आयोजना	47.32	12.45	0	8.36	2.5	70.63
	कुल	47.32	20.83	0.5	8.36	2.5	79.5
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	0	0	0	0	0
BE 2015-16	आयोजना भिन्न	0	9.65	0.5	0	0	10.15
	आयोजना	65.76	6.75	0	16.46	3	92
	कुल	65.76	16.4	0.5	16.48	3	102.166
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	0.5	0	7.5	0	8.09
RE 2015-16	आयोजना भिन्न	0	8.1	0.6	0	0	8.7
	आयोजना	44.3	6.9	0	48.6	2.65	102.45
	कुल	44.3	13.47	0.6	48.6	2.65	109.62
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	1.15	0	0	0	1.15
AE 2015-16	आयोजना भिन्न	0	8.93	0.59	0	0	9.52
	आयोजना	44.37	5.04	0	35.43	2.65	87.49
	कुल	44.37	13.97	0.59	35.43	2.65	97.01
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	0	0	0	0	0
BE 2016-17	आयोजना भिन्न	0	11	0.6	0	0	11.6
	आयोजना	68.25	8.53	0	64.07	3	143.85
	कुल	68.25	19.55	0.6	64.07	3	155.47
	राज्य	0	1.07	0	33.87	0	34.94

	आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता						
RE 2016-17	आयोजना भिन्न	0	11.22	0.69	0	0	11.91
	आयोजना	68.25	8.36	0	65.72	1.55	143.88
	कुल	68.25	19.5	0.69	65.72	1.55	155.71
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	1.07	0	37.7	0	38.77
BE 2017-18	राज्य निधी	75.2	26.88	074	16.86	1.55	121.23
	केन्द्रीय सहायता	0	1.29	0	43.93	0	45.22
	कुल	75.2	28.17	0.74	60.73	1.55	166.44

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में विभाग के लिये पारित की गयी राशि में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में सिर्फ 34.2 करोड़ रू की ही बढ़ोतरी हुयी है जो कि बेहद कम है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा मद 2202 तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिय मद 2225 में आवंटित व्यय में की गयी है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में विभाग के लिये पारित की गयी राशि में भी 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में सिर्फ 53 करोड़ रू की ही बढ़ोतरी हुयी थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से के लिये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिय आवंटित पुंजीगत परिव्यय के आयोजना मद में की गयी थी। 2015–16 तथा 2016–17 के बजट को देखने से मालूम चलता है कि मुख्य शीर्ष 2225 में आवंटित बजट में आयोजना भिन्न व्यय की तुलना में आयोजना व्यय कम है जिससे यह मालूम होता है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि में प्रशसनिक खर्चों का अनुपात कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की तुलना में ज्यादा है।

2015–16 के बजट अनुमान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि 102.16 करोड़ रू थी जो इसी वर्ष के संशोधित अनुमान में 6.9 करोड़ से बढ़ कर 109.06 करोड़ रू हो गयी है। यह बढ़ोतरी भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिय आवंटित पुंजीगत परिव्यय के आयोजना मद में की गयी है परंतु मुख्य शीर्ष 2202– सामान्य शिक्षा में मदरसों के लिये बजट में कमी की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 के लेखे से हम देख सकते हैं कि वास्तविक खेच आवंटित बजट से 36.03 करोड़ रू कम है। यह कमी मुख्यतः बजट शीर्ष 2225– अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय में की गयी है जो कि बजट अनुमान में 46.36 करोड़ रू थी परंतु वास्तविक खेच केवल 20.83 करोड़ रू ही किया गया जो कि निंदा योग्य है क्योंकि इस शीर्ष में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को कल्याणकारी योजनाओं के लिये बजट आवंटन किया जाता है।

हालांकी इस वर्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये बजट में बढ़ोतरी देखी गयी है परंतु 2014–15 के लेखे में आयी कमी को देख कर कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के कल्यााण के लिये आवंटित राशि को ठीक से खर्च नहीं किया गया है। अतः हम यह आशा करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित राशि अधिक प्रभावशाली ढंग से खर्च की जाये ताकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके।